सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2023-24

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry Of Home Affairs

राजभाषा विभाग

Department of Official Language

FOREWORD

Hindi Language has been adopted as the Official Language of the Union by the Indian Constituent Assembly on 14th September, 1949. According to Article 343(1) of the Constitution, the Official Language of the Union is Hindi in Devanagari script and the form of numerals to be used for the official purposes of the Union is international form of Indian numerals. According to Article 351 of the Constitution, it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi Language to develop it so that it may serve as an empowered medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in other languages of India specified in the 8th Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

The Official Language Act 1963 was framed for use of Hindi for the official purposes of the Union. As per Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963, Resolutions, General Orders, Rules, Notifications, Administrative or other Reports or Press Communiqués, Administrative and other Reports and Official Papers laid before a House or the Houses of Parliament, Contracts and Agreements executed and License, Permits, Notices and Forms of tenders issued by or on behalf of the Central Government or any Ministry, Department or office thereof or by a Corporation or Company owned or controlled by the Central Government or by any Office of such Corporation or Company shall be issued bilingually, both in Hindi and English. The Official Language Resolution was passed by both the Houses of Parliament in December, 1967 and was circulated by Ministry of Home Affairs on 18th January, 1968.

The Official Languages Rules, 1976 were framed for the progressive use of Hindi for official purposes of the Union Government. Names of offices, where 80 percent or more of the staff possess working knowledge of Hindi shall be notified under Rules 10(4) of the Official Languages Rules 1976 in the Official Gazette. Further, in the offices so notified, staff who have attained proficiency in Hindi may by order be asked to use only Hindi for noting/drafting and such other purposes as specified in the order, under Rule 8(4) of the Official Languages Rules, 1976.

In the year 2023-24, the Department of Official Language has accomplished many significant tasks under the able guidance and inspiring leadership of Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah which has been included in the Annual Report 2023-24 prepared by the Department. The Department of Official Language believes that the work done by the Department will not only inspire other institutions but also motivate them to move forward with resolute determination in the propagation of Hindi in future.

प्रस्तावना

भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया । संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है और सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है । अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा को बढ़ावा दे, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए तथा इसके शब्दकोश के लिए जहां कहीं आवश्यक अथवा अपेक्षित हो, प्राथमिक रूप से संस्कृत तथा गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द लेकर राजभाषा हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करे ।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग के उद्देश्य से राजभाषा अधिनियम, 1963 बनाया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों, संसद के किसी सदन अथवा सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय पत्रों, संविदाओं, करारों, अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञा पत्रों, सूचनाओं और निविदा प्रारूपों के लिए जो केंद्र सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित हों, द्विभाषी अर्थात हिंदी एवं अंग्रेजी में जारी किया जाना चाहिए । संसद के दोनों सदनों में दिसंबर, 1967 में राजभाषा संकल्प पारित किया गया था जो गृह मंत्रालय द्वारा 18 जनवरी, 1968 को परिचालित किया गया था ।

संघ सरकार के कार्यालयीन प्रयोग के उद्देश्य से हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु राजभाषा नियम, 1976 बनाए गए । जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उन्हें राजभाषा अधिनियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों से राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन आदेश जारी करके टिप्पण/मसौदा लेखन और आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है ।

वर्ष 2023-24 में राजभाषा विभाग ने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिन्हें विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में शामिल किया गया है । राजभाषा विभाग को यह विश्वास है कि विभाग द्वारा किए गए कार्य न केवल समस्त संस्थानों के लिए प्रेरणास्रोत का कार्य करेंगे, बल्कि भविष्य में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित भी करेंगे ।

CONTENTS

Sr.No.	Chapter	Page No.
1.	Organizational Chart and functions of the Department of Official Language	1-3
2.	Important activities during the year 2023-24	4-10
3.	Measures to implement the Official Language Policy	11-13
4.	Central Translation Bureau	14-17
5.	Hindi Teaching Scheme and Kendriya Hindi Prashikshan Sansthan	18-24
6.	Efforts to increase the use of Official Language through ICT	25-26
7.	Publicity, Publication and distribution of literature	27-28
8.	Central Secretariat Official Language Service	29
9.	Committee of Parliament on Official Language	30-34

विवरण

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राजभाषा विभाग का संगठनात्मक चार्ट तथा कार्य	1-3
2.	वर्ष 2023-24 के दौरान उल्लेखनीय कार्यकलाप	4-10
3.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उपाय	11-13
4.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो	14-17
5.	हिंदी शिक्षण योजना और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान	18-24
6.	आई सी टी के माध्यम से राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास	25-26
7.	प्रचार-प्रसार, प्रकाशन तथा साहित्य का वितरण	27-28
8.	केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा	29
9.	संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य	30-34

CHAPTER- 1

ORGANISATION AND FUNCTIONS OF THE DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

With a view to ensure compliance of the Constitutional and legal provisions regarding Official Language of the Union and to promote the use of Hindi for the official purposes of the Union, the Department of Official Language was set up in June, 1975 as an independent department under the Ministry of Home Affairs. Since then, this Department has been making continuous efforts for accelerating the progressive use of Hindi in transaction of the official business of the Union. In accordance with the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, The Department of Official Language has been entrusted with the following responsibilities:-

1. Implementation of the provisions of the Constitution relating to the Official Language and the provisions of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) except to the extent such implementation has been assigned to any other Department.

2. Prior approval of the President for authorizing the limited use of Hindi language, other than English, in the proceedings in the High Court of a State.

3. Nodal responsibility for all matters relating to the progressive use of Hindi as the Official Language of the Union including Hindi Teaching Scheme for Central Government Employees and publication of magazines, journals & other literature related thereto.

4. Co-ordination in all matters relating to the progressive use of Hindi as the Official Language of the Union, including administrative terminology, syllabi, textbooks, training courses and equipment (with standardized script) required thereafter.

5. Constitution and cadre-management of the Central Secretariat Official Language Service.

6. Matters relating to the Kendriya Hindi Samiti.

7. Co-ordination of work relating to the Hindi Salahkar Samities (Hindi Advisory Committees) set up by various Ministries/Departments.

8. Matters relating to Central Translation Bureau.

9. Matters relating to Central Hindi Training Institute including Hindi Teaching Scheme.

10. Matters relating to Regional Implementation Offices.

11. Matters relating to Committee of Parliament on Official Language.

अध्याय-1

राजभाषा विभाग की संरचना तथा कार्य

संघ के राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई । उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है । भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, राजभाषा विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं: -

1. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है ।

2. किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ।

3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र-पत्रिकाओं एवं उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व ।

4. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं ।

5. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन ।
6. केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित विषय ।
7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।
8. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित विषय ।
9. हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित विषय ।
10. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित विषय ।
11. संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित विषय ।

ORGANIZATIONAL CHART OF DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

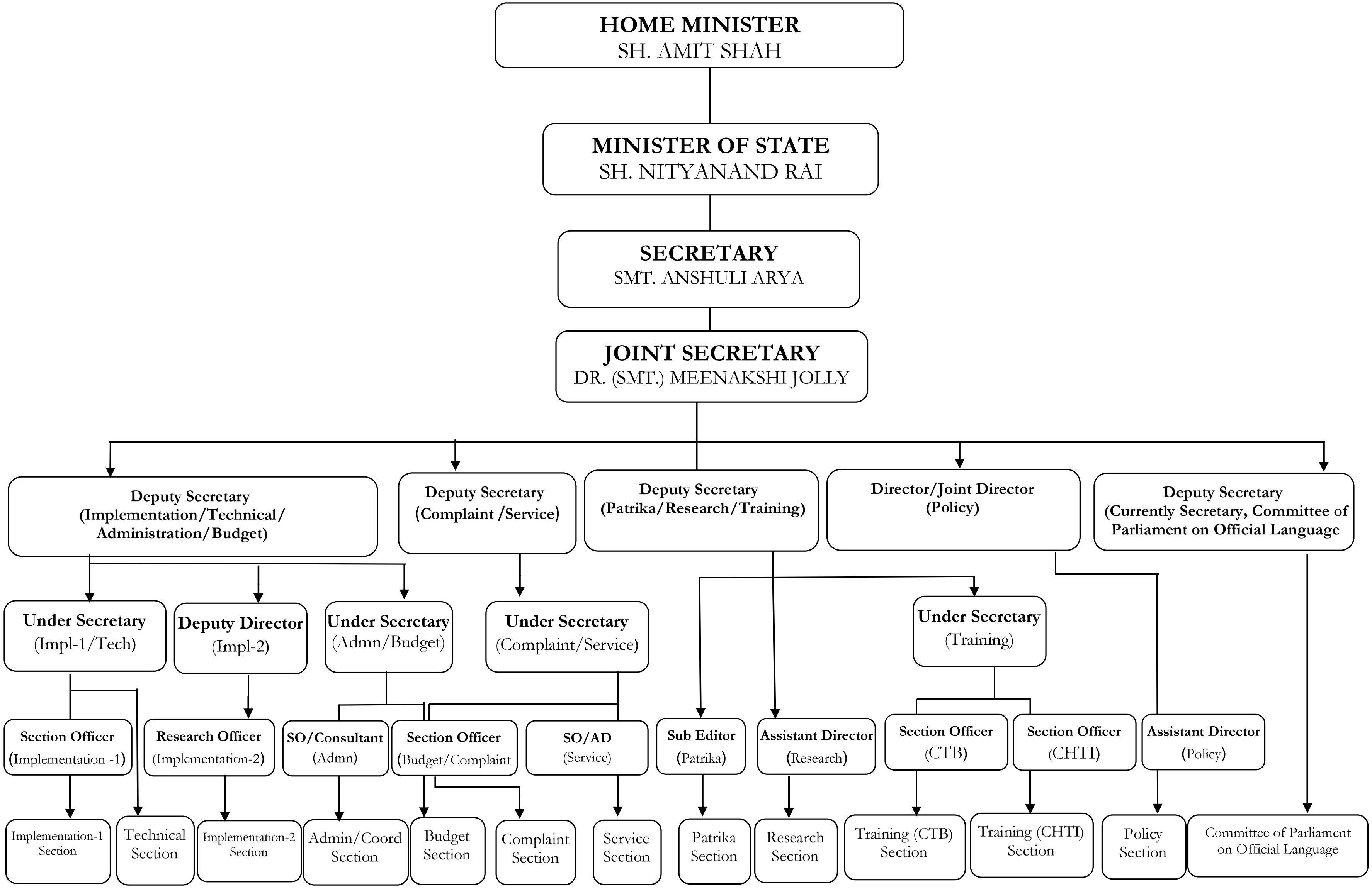

राजभाषा विभाग का संगठनात्मक चार्ट

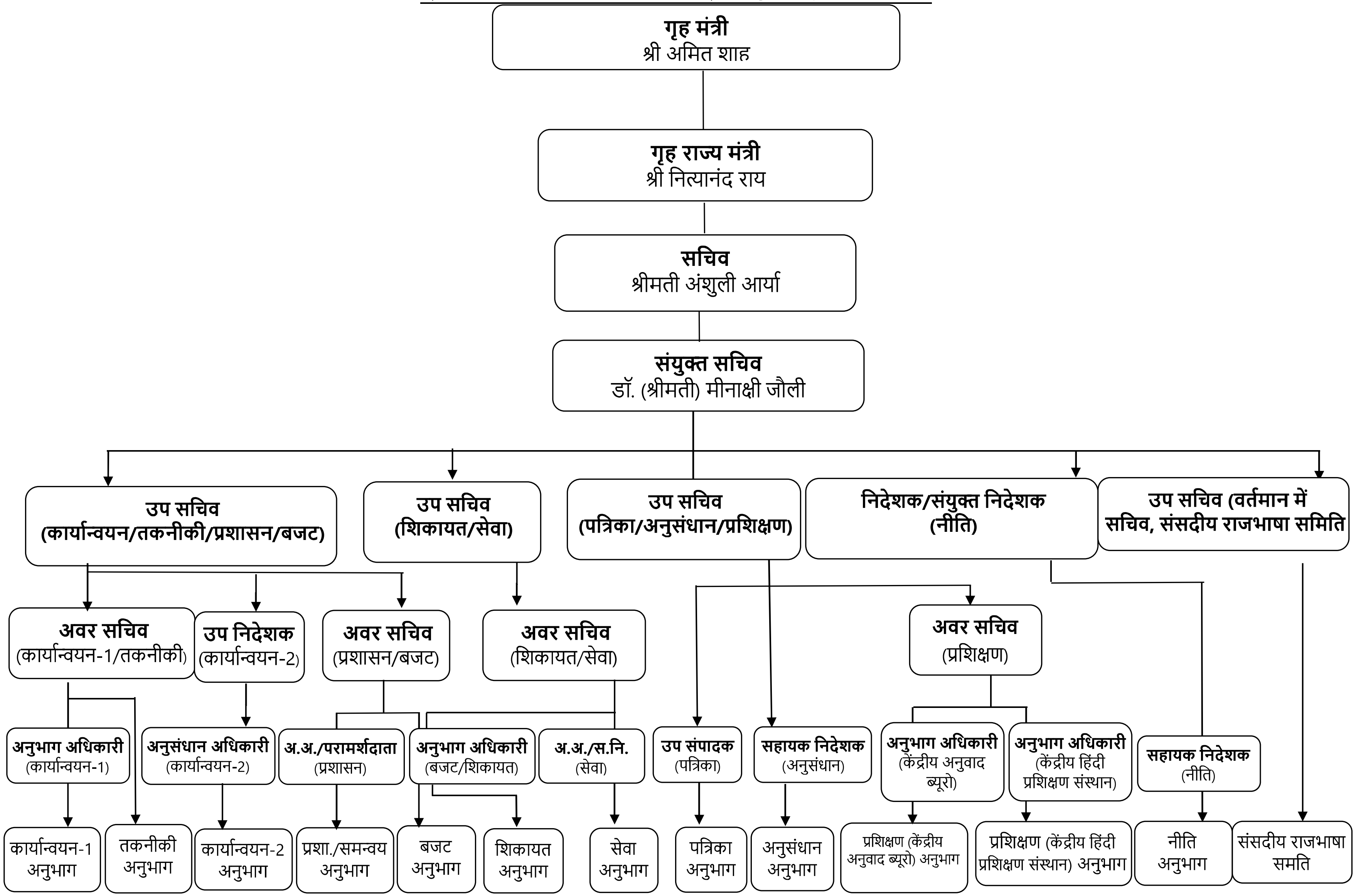

SUBORDINATE OFFICES OF THE DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

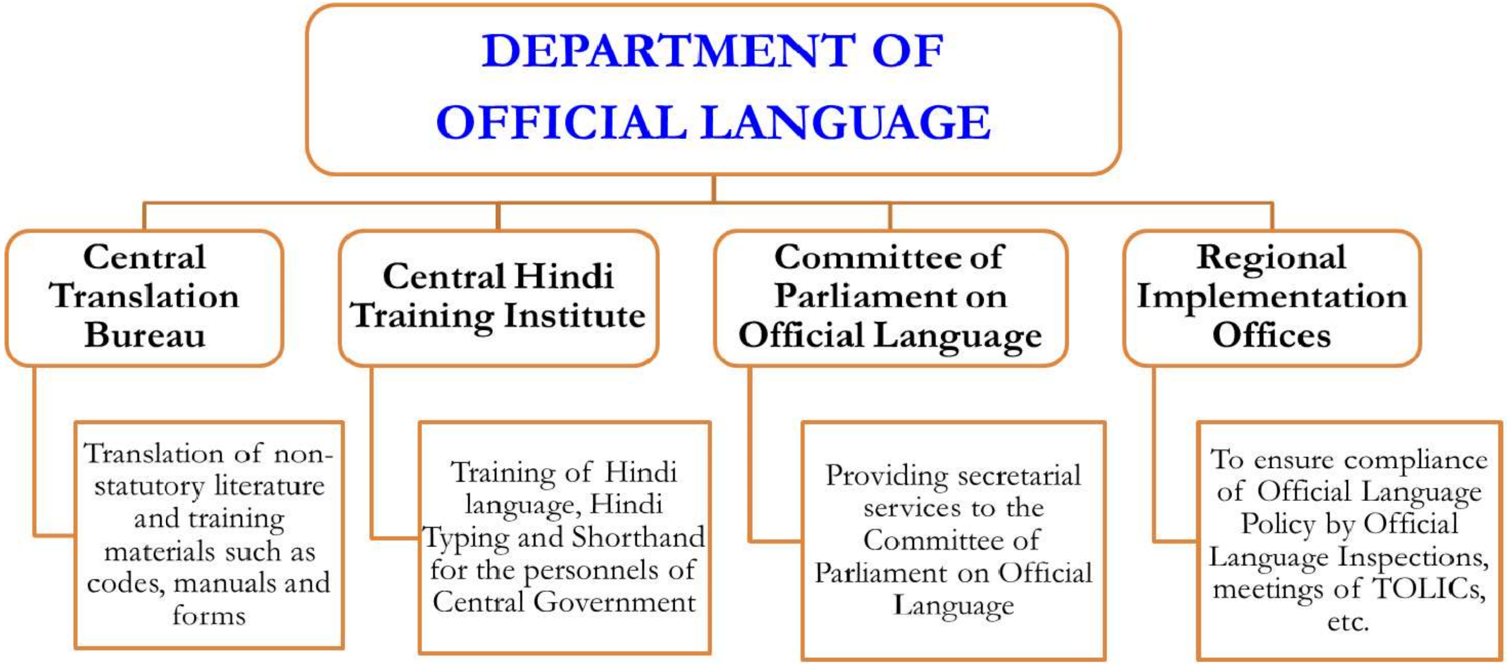

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय

CHAPTER- 2

IMPORTANT ACTIVITIES DURING THE YEAR 2023-24

2.1 Third All India Official Language Conference:

Third All India Official Language Conference was held on 14-15 September, 2023 at Shri Chhatrapati Shivaji Sports Complex, Balewadi, Pune (Maharashtra) It was inaugurated by Hon'ble Minister of State for Home Affairs Shri Ajay Kumar Mishra, Hon'ble Deputy Chairman of Rajya Sabha Shri Harivansh , Hon'ble Union Minister of State for Health and Family Welfare Ms. Bharti Pawar, Hon'ble Union Minister of State for Micro , Small and Medium Enterprises Shri Bhanu Pratap Singh, Hon'ble Deputy Chairman of Parliamentary Official Language Committee Shri Bhartruhari Mahtab and in the presence of other honourable members of the Committee.

On this occasion, Secretaries of various offices of the Government of India , Senior officers of various banks and public sector undertakings and more than nine thousand officers / employees of the Government of India including Hindi scholars from across the country were present. On this occasion -

i) Rajbhasha Kirti and Rajbhasha Gaurav award winners were awarded.
ii) The second edition of Hindi Shabd Sindhu (3,51,000 words) was released.
iii) The integration of Kanthasth and e-office was inaugurated.
iv) A new edition of the manual regarding the use of official language Hindi was released.
v) The conference special issue of Rajbhasha Bharti was released.
vi) In the six sessions held after the inaugural session, various scholars deliberated deeply on the status and possibilities of the Hindi language.

2.2 Translation software Kanthastha -2.0

The translation software "Kanthastha" based on memory and artificial intelligence has been developed by the Department of Official Language with the help of C-DAC , Pune. It was launched in Mauritius in the year 2018. The main feature of this translation memory system is that it helps the translator in translating a new file with the help of local and global TM. The advanced version of Kanthstha " Kanthastha -2.0" was released on the occasion of Hindi Diwas It was done on 14th September , 2022 by the Honorable Home and Cooperation Minister.

Some important features of " Kanthasth -2.0" are as follows:-

(i) free for all.
(ii) Neural Machine Translation (NMT).
(iii) Speech to Text (STT) (Users can type by speaking).
(iv) Automated bot chat service (a “Can I help you” type of help window service).
(v) Facility of instant translation on one click .

अध्याय-2

वर्ष 2023-24 के दौरान उल्लेखनीय कार्यकलाप

2.1 तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन:

तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 14-15 सितंबर, 2023 को श्री छत्रपति शिवाजी क्रीड़ा संकुल बालेवाड़ी पुणे (महाराष्ट्र) में किया गया। इसका उद्‌घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री सुश्री भारती पवार, माननीय केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानुप्रताप सिंह,संसदीय राजभाषा समिति के माननीय उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब एवं समिति के अन्य माननीय सदस्यगण की उपस्थिति में किया गया।

इस अवसर पर, भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के सचिव, विभिन्न बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चाधिकारी और देश भर से आए हिंदी के विद्वानों सहित भारत सरकार के नौ हजार से अधिक अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर -

i) राजभाषा कीर्ति एवं राजभाषा गौरव पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।
ii) हिंदी शब्द सिंधु के दूसरे संस्करण (3,51,000 शब्द) का लोकार्पण किया गया।
iii) कंठस्थ तथा ई-ऑफिस के इंटीग्रेशन का लोकार्पण किया गया।
iv) राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक के नवीन संस्करण का लोकार्पण किया गया।
v) राजभाषा भारती के सम्मेलन विशेषांक का लोकार्पण किया गया।
vi) उद्‌घाटन सत्र के बाद आयोजित 6 सत्रों में हिंदी भाषा की स्थिति एवं संभावनाओं पर विभिन्न विद्वानों द्वारा गहन मंथन हुआ।

2.2 अनुवाद सॉफ्टवेयर कंठस्थ-2.0

स्मृति एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर “कंठस्थ” को राजभाषा विभाग ने सी-डैक, पुणे की सहायता से विकसित किया है। इसका लोकार्पण वर्ष 2018 में मॉरीशस में किया गया था। इस अनुवाद स्मृति प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि यह लोकल और ग्लोबल टीएम की सहायता से किसी नई फाइल का अनुवाद करने में अनुवादक को सहायता प्रदान करती है। कंठस्थ के उन्नत संस्करण "कंठस्थ-2.0" का विमोचन हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2022 को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर-कमलों से किया गया।

"कंठस्थ-2.0" की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार हैं:-

(i) सभी के लिए निःशुल्क।
(ii) न्यूरल मशीन अनुवाद (NMT) ।
(iii) बोली से पाठ अर्थात स्पीच टू टेक्स्ट (एसटीटी) (प्रयोक्ता बोल कर टंकण कर सकते हैं)।
(iv) स्वचालित बोट चैट सेवा (यह "क्या मैं आपकी मदद करूँ" जैसी सहायता विंडो सेवा)।
(v) एक क्लिक पर Instant Translation की सुविधा।

(vi) The mobile app of Kanthastha 2.0 was launched by the Hon'ble Minister of State for Home Affairs (A.M.) at the World Hindi Conference, Fiji in the year 2023 .

(vii) In Global Database of Kanthasth The number of TMs (sentences) available till August, 2024 is more than 2.5 crores.

(viii) The facility of instant translation of memorized text has been started in the e-office of 67 departments/offices.

2.3 Hindi Shabd Sindhu

'Hindi Shabd Sindhu-a comprehensive Hindi to Hindi dictionary' compiled by the Official Language Department containing popular words from various Indian languages is a unique initiative. Keeping in mind the aspirations of the Honorable Prime Minister and being inspired by the Honorable Home and Cooperation Minister, the project of 'Hindi Shabd Sindhu' was started in the year 2021 under the joint aegis of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Central Hindi Directorate, Ministry of Education. It includes words from various fields like health , technology , media , law etc. This digital dictionary will pave the way for the technological empowerment of Hindi. Its first edition was launched by the Home Minister on the occasion of the All India Conference in Surat. The second edition of Hindi Shabd Sindhu (3,51,000 words) was released at the Third All India Official Language Conference .

More than 5 lakh words have been included in it so far. Many modern features are also available in it, including the ability to search words by speaking. This dictionary is being continuously developed.

2.4 Bhartiya Bhasha Anubhag

The establishment of Bhartiya Bhasha Anubhag is an ambitious project of this department for which the Home Minister gave in-principle approval on 30 July 2023. The in-principle approval of the Finance Divison has been received on 20 February 2024 on this project costing a total of Rs 289.67 crore. The purpose of setting up this section is to develop a mechanism so that correspondence between the Central Government and the State Governments can also be done in the First Official Language of the state. It has been proposed to develop a universal system of translation in 15 Indian languages of the Eighth Schedule of the Constitution.

2.5 Publication of manual regarding the use of Official Language Hindi (Revised upto 31st July, 2023)

A new edition of manual regarding the use of Official Language Hindi was prepared and released in a grand function on the occasion of Third All India Official Language Conference organised on 14-15 September, 2023 at Shri Chhatrapati Shivaji Sports Complex, Balewadi, Pune, (Maharashtra).

(vi) कंठस्थ 2.0 के मोबाइल ऐप का लोकार्पण माननीय गृह राज्यमंत्री (ए.एम.) के कर-कमलों से वर्ष 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन, फिजी में किया गया।

(vii) कंठस्थ के ग्लोबल डेटाबेस में अगस्त, 2024 तक उपलब्ध टी.एम. (वाक्यों) की संख्या ढाई करोड़ से भी अधिक।

(viii) 67 विभागों/कार्यालयों के ई-ऑफिस में कंठस्थ के तत्काल अनुवाद की सुविधा की शुरुआत हो चुकी है।

2.3 हिंदी शब्द सिंधु

राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को समाहित करते हुए 'हिंदी शब्द सिंधु' नामक हिंदी से हिंदी बृहत शब्दकोश का निर्माण एक अनूठी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी से हिंदी डिजीटल शब्द कोश 'हिंदी शब्द सिंधु' निर्माण की परियोजना माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की प्रेरणा से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। इसमें स्वास्थ्य, तकनीक, मीडिया, विधि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों को शामिल किया गया है। इस डिजीटल शब्दकोश से हिंदी के तकनीकी सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके पहले संस्करण का लोकार्पण गृह मंत्री जी ने सूरत के अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर किया था। तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिंदी शब्द सिंधु के दूसरे संस्करण (3,51,000 शब्द) का लोकार्पण किया गया।

इसमें अब तक 5 लाख से भी ज्यादा शब्दों को समाहित किया जा चुका है। इसमें बोलकर शब्द खोजने की क्षमता सहित कई आधुनिक फीचर भी उपलब्ध हैं । इस शब्दकोश का निरंतर विकास किया जा रहा है।

2.4 भारतीय भाषा अनुभाग

भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना इस विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके लिए गृह मंत्री जी ने सैद्धांतिक स्वीकृति 30 जुलाई, 2023 को प्रदान की। कुल 289.67 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना पर वित्त विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति 20 फरवरी, 2024 को प्राप्त हो चुकी है। इस अनुभाग की स्थापना किए जाने का प्रयोजन एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा (First Official Language) में भी हो सके। इसमें संविधान की आठवीं अनुसूची की 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सार्वभौमिक व्यवस्था विकसित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2.5 राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक के नवीनतम संस्करण (31 जुलाई 2023 तक संशोधित) का प्रकाशन

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक के नवीन संस्करण को तैयार किया गया और इसका भव्य लोकार्पण तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में दिनांक 14-15 सितंबर, 2023 को श्री छत्रपति शिवाजी क्रीड़ा संकुल, बालेवाड़ी, पुणे (महाराष्ट्र) में किया गया।

2.6 Revised Rajbhasha Gaurav Awards Scheme from 2022-23

A revised award scheme named **'Rajbhasha Gaurav Puraskar Yojna'** from the year 2022-23 has been introduced by the Department of Official Language. Under the scheme, the citizens of India will be awarded as follows:-

(A) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on knowledge and science based subjects.
(B) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Forensic Science, Police, Criminology Research and Police Administration.
(C) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage.
(D) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi in the field of law.

	Name of the Award Scheme	**Total No. of Awards**	**Payable Amount, Certificate and Memento**
A	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on knowledge and science based subjects	First Prize (One)	₹ 2,00,000/- (Two lakh rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,25,000/- (One lakh twenty five thousand rupees), a certificate and a memento
		Third Prize (One)	₹ 75,000/- (Seventy five thousand rupees), a certificate and a memento
B	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Forensic Science, Police, Criminology Research and Police Administration	First Prize (One)	₹ 1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
C	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage	First Prize (One)	₹ 1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento
D	Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi in the field of law	First Prize (One)	₹ 1,50,000/- (One lakh fifty thousand rupees), a certificate and a memento
		Second Prize (One)	₹ 1,00,000/- (One lakh rupees), a certificate and a memento

2.7 Rajbhasha Kirti Awards

Revised Rajbhasha Kirti Award Scheme has been implemented from the year 2022-23 by the Department of Official Language. Under this award scheme, every year shields are awarded to various Ministries, Departments, Boards/Institutions/Autonomous Bodies etc., Banks and Financial Institutions, Public Sector Undertakings and in-house Journals for their outstanding achievements in promoting the Official Language Policy of the Government. The Rajbhasha Kirti Awards for the year 2022-23 have been declared and the awardees have been awarded in the third all India Official Language Conference.

2.6 वर्ष 2022-23 से संशोधित राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 से संशोधित **"राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"** लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:-

(क) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(ख) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(घ) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

	पुरस्कार योजना का नाम	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
क	हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 2,00,000/- (दो लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ख	न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
घ	विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

2.7 राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

राजभाषा विभाग द्वारा संशोधित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना वर्ष 2022-23 से लागू की गई है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों आदि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और हिंदी गृह पत्रिकाओं को सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शील्डें प्रदान की जाती हैं। इस दौरान वर्ष 2022-23 के राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों की घोषणा की गई और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

2.8 Annual Assessment Report

As required by Official Language Resolution, 1968, an Annual Assessment Report is prepared, showing the progress made in various Ministries/Departments etc., vis-à-vis targets fixed in the Annual Programme with regard to the various items of Official Language and laid on the Tables of both the Houses of Parliament. The shortfall in meeting the targets are brought to the notice of the concerned Ministry/Department for taking remedial measures. The 53rd Annual Assessment Report for the year 2021-22 was prepared and laid on the Table of both the Houses of Parliament. The 54th Annual Assessment Report for the year 2022-23 was laid on the table of the Lok Sabha on 30-07-2024 and on the table of the Rajya Sabha on 31-07-2024.

2.9 Rajbhasha Bharti

Rajbhasha Bharti, the quarterly magazine of the Department of Official Language is a very important magazine, dedicated to the propagation of Official Language Hindi in the offices of the Central Government. This is being published since the year 1978. Up to March 2024, 166 issues of Rajbhasha Bharti have been published. A Souvenir was also published on the occasion of Hindi Diwas and All India Official Language Conference in Pune during 14-15 September, 2023. On March 8, 2024, 166th issue of Rajbhasha Bharti focussing on women empowerment was released in the Regional Official Language Conference held in Siliguri.

2.10 Annual Programme

Annual Programme, prescribing the Annual Targets for the year 2024-25 regarding the use of Hindi for the Ministries/ Departments/ Offices of the Government of India was brought out and distributed. Annual Programme for the year 2024-25 was also uploaded on website of the Department www.rajbhasha.gov.in in the month of March, 2024.

2.11 Purchase of Hindi books in the libraries of Central Government Offices

Ministries/Departments/Offices etc. of the Govt. of India are encouraged to purchase Hindi books for their libraries, so that they can achieve prescribed targets set in the Annual Programme regarding purchase of Hindi books. For this purpose a list of standard Hindi books is prepared and circulated by the Department of Official Language every year. Updated list for the books published up to 2023 has been uploaded on the website of the Department www.rajbhasha.gov.in.

2.8 वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

राजभाषा संकल्प, 1968 के प्रावधानों के अनुपालन में राजभाषा विभाग की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में की गई प्रगति की स्थिति दर्शायी जाती है तथा इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई गई कमियों में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस अवधि में, वर्ष 2021-22 की 53 वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई और इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। वर्ष 2022-23 की 54वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर दिनांक 30-07-2024 को व राज्य सभा के पटल पर दिनांक 31-07-2024 को रखी गई।

2.9 राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका 'राजभाषा भारती' केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष 1978 से निरंतर किया जा रहा है। मार्च, 2024 तक राजभाषा भारती के 166 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। दिनांक 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर स्मारिका का प्रकाशन भी किया गया। दिनांक 8 मार्च, 2024 को सिलीगुड़ी में हुए क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में महिला सशक्तीकरण आधारित राजभाषा भारती के अंक 166 - महिला विशेषांक का विमोचन किया गया।

2.10 वार्षिक कार्यक्रम

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया और इसे मुद्रित करवाकर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वितरित किया गया । मार्च, 2024 में वार्षिक कार्यक्रम 2024-25 को राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर भी अपलोड किया गया।

2.11 केंद्र सरकार के कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे वार्षिक कार्यक्रम में हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसी प्रयोजनार्थ प्रति वर्ष स्तरीय पुस्तकों की एक सूची राजभाषा विभाग द्वारा तैयार करके जारी की जाती है। वर्ष 2023 तक प्रकाशित पुस्तकों की अद्यतन सूची विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर उपलब्ध करा दी गई है।

2.12 Messages

A number of requests from the Central Govt. Offices, Banks, Undertakings, Town Official Language Implementation Committees, various academies and voluntary institutions spread over the country were received in the Department for obtaining messages from the Hon'ble Home Minister, Minister of State for Home Affairs, Secretary and Joint Secretary, Department of Official Language. Requests seeking comments on appraisal of their various magazines/publications/books were also received. Keeping in mind the fact that these messages convey motivation and inspiration for encouraging the progressive use of Official Language Hindi, almost all the requests were suitably replied to and messages of the Hon'ble Home Minister, Hon'ble Minister of State for Home Affairs, Secretary and Joint Secretary, Department of Official Language etc. were communicated.

2.13 E-Patrika Library

E-Patrika Library is a platform on the website of Department of Official Language on which any Ministry/ Department/ Enterprise/ Office etc. can upload the E-edition of its magazine. E-Patrika Library was dedicated to the public on 21st July 2020 and since then hundreds of magazines have been uploaded. It provides wider publicity to the magazines. It also facilitates seamless and hassle-free reading of in-house magazines in safe and secure environment.

2.14 Kendriya Hindi Samiti

Kendriya Hindi Samiti was constituted in 1967 under the Chairmanship of the Hon'ble Prime Minister to establish coordination among the Ministries/Departments of the Central Government for propagation, promotion and progressive use of Official Language Hindi. It is the Apex Committee which lays down guidelines regarding the Official Language Policy. Kendriya Hindi Samiti was reconstituted on 09.11.2021. The present Samiti consists of the Prime Minister (Chairman), Home Minister (Vice-Chairman), Minister of State for Home Affairs in-charge of Department of Official Language (Members), 07 Central Government Ministers (Members), 06 Chief Ministers of States (Members), 04 Parliament Members and Secretary, Department of Official Language (Member-Secretary), in total 21 members are there. 32 meetings of the Samiti have been held so far. The 32nd meeting of the samiti was held on 4th November, 2024 in New Delhi.

2.15 Meetings of Hindi Advisory Committee

In order to advise Ministries/Departments of Central Government, regarding the smooth implementation of Official Language Policy, Hindi Advisory Committees are constituted in Ministries/Departments under the Chairmanship of the respective Ministers. It is desirable to organize a minimum 02 meetings of the Committee in a year.

2.12 शुभकामना संदेश

राजभाषा विभाग में देश भर से केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, विभिन्न अकादमियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अपनी पत्रिकाओं/प्रकाशनों तथा समारोहों के लिए माननीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, सचिव(राजभाषा) तथा संयुक्त सचिव (राजभाषा) की ओर से शुभकामना संदेशों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पत्रिकाओं/प्रकाशनों/पुस्तकों पर प्रतिक्रिया देने के बारे में भी अनुरोध प्राप्त होते हैं। इस तथ्य के मद्देनजर कि ये संदेश राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, विभाग द्वारा प्राय: सभी अनुरोधों का समुचित उत्तर देते हुए माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, सचिव तथा संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की ओर से संदेश आदि प्रेषित किए गए।

2.13 ई-पत्रिका पुस्तकालय

ई-पत्रिका पुस्तकालय, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/कार्यालय आदि अपनी पत्रिका के ई-संस्करण को अपलोड कर सकता है। ई-पत्रिका पुस्तकालय 21 जुलाई, 2020 को जनता को समर्पित किया गया और तब से सैकड़ों पत्रिकाएं इस पर अपलोड की जा चुकी हैं । इससे पत्रिकाओं का व्यापक प्रचार होता है। साथ ही, इससे गृह पत्रिकाओं के सुरक्षित तथा सुलभ और बाधा रहित वातावरण में पठन की सुविधा भी प्राप्त होती है ।

2.14 केंद्रीय हिंदी समिति

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में समन्वय स्थापित करने और राजभाषा हिंदी का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार तथा प्रगामी प्रयोग बढ़ाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वर्ष 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया था। यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन दिनांक 09.11.2021 को किया गया है। समिति में प्रधानमंत्री जी (अध्यक्ष), गृह मंत्री जी (उपाध्यक्ष), गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (सदस्य), 07 अन्य केंद्रीय मंत्री(सदस्य), 06 राज्यों के मुख्यमंत्री (सदस्य), 04 संसद सदस्य और सचिव, राजभाषा विभाग (सदस्य सचिव) को मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं ।

इस समिति की अब तक 32 बैठकें हो चुकी हैं । समिति की 32 वीं बैठक दिनांक 4 नंवबर 2024 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

2.15 हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियां गठित/पुनर्गठित की जाती हैं । इस समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित है।

2.16 Central Official Language Implementation Committee

For reviewing the progressive use of Hindi in the Ministries/ Departments of the Central Government as per the provisions of the Official Languages Act, 1963 and Official Language Rules, 1976, training of the employees of the Central Government in Hindi and to review the implementation of the instructions issued by the Department of Official Language and to suggest measures for rectifying the shortcomings found in the compliance of these instructions, there exists a Central Official Language Implementation Committee in the Department of Official Language under the Chairmanship of Secretary, Department Of Official Language. Officer in-charge (Joint Secretary Level) entrusted with the work of Official Language Hindi in Ministries/ Departments are members of this Committee. The 45th meeting of this Committee was held from 16-18 October, 2023 and the 46th meeting was held from 22-23 October, 2024.

2.17 Setting up of Town Official Language Implementation Committees

Town Official Language Implementation Committees are set up in various major towns of the country for monitoring the implementation of Official Language Hindi in Central Government Offices. The total number of these committees has now risen to 536. Meetings of these committees are required to be held twice a year. Measures for accelerating the use of Hindi in Central Government Offices are considered in these meetings.

Town Official Language Implementation Committees have also been constituted in foreign countries. Presently TOLICs have been constituted in five countries:- Mauritius (Port Louis), UAE (Dubai), United Kingdom (London), Fiji and Singapore.

2.18 Meetings of the Departmental Official Language Implementation Committees

Departmental Official Language Implementation Committees have been constituted in all Ministries/Departments and offices. Meetings are held once in a quarter. In these meetings, quarterly progress reports are reviewed and measures are taken for achieving the targets fixed in the Annual Programme. Representatives of the Department of Official Language also attend these meetings to provide information on the Official Language Policy, the measures adopted to implement it and the position about the latest orders issued on the subject. As per the information received in the Department, 206 meetings of these committees were held in various Ministries/Departments during the year.

2.19 Regional Official Language Conference

These conferences provide formal platform for deliberations on the progress made in use of Official Language and for giving encouragement to the use of Hindi for the Official purposes. In these conferences, Rajbhasha Shields are also awarded to attached/subordinate offices of central government for their outstanding achievement in the implementation of the Official Language Policy of the Union. Four such conferences are held every year. In 2023-24, these conferences were organized in Mumbai, Jodhpur, Bengaluru and Siliguri. Details of these conferences are given below:-

2.16 केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इसके सदस्य हैं । इस समिति की 45वीं बैठक 16 से 18 अक्टूबर, 2023 को तथा 46 वीं बैठक 22-23 अक्टूबर 2024 को आयोजित की गई ।

2.17 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन

केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। अब इन समितियों की संख्या 536 हो गई है । इन समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी अपेक्षित हैं। इन बैठकों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार किया जाता है ।

विदेशों में भी स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । अभी वर्तमान में 05 देशों- मॉरीशस (पोर्ट लुई), संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), यूनाइटेड किंगडम (लंदन), फिजी तथा सिंगापुर में नराकास गठित हैं ।

2.18 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इनकी बैठकें तीन महीने में एक बार आयोजित की जाती हैं। बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं। राजभाषा नीति के संबंध में और इसे कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपायों तथा अद्यतन आदेशों की स्थिति की जानकारी देने के लिए इन बैठकों में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं । विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की 206 बैठकें हुईं।

2.19 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन से राजभाषा की प्रगति के संबंध में विचार-विमर्श हेतु एक औपचारिक मंच उपलब्ध होता है तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है। इन सम्मेलनों में केंद्र सरकार के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राजभाषा शील्डें भी प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसे चार सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं । वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये सम्मेलन मुम्बई, जोधपुर, बेंगलुरु और सिलीगुड़ी में आयोजित किए गए । इन सम्मेलनों का ब्यौरा इस प्रकार है-

Sr. No.	Region	Place	Number of Awards	Date	Pending Awards of previous years
1.	Central and Western	**Mumbai**	48 Shields & 48 Certificates	23.11.2023	2022-23
2.	North-1 North-2	**Jodhpur**	64 Shields & 64 Certificates	28.12.2023	2022-23
3.	South and South west	**Bengaluru**	32 Shields & 32 Certificates	19.01.2024	2022-23
4.	East & North Eastern Region	**Siliguri**	48 Shields & 48Certificates	08.03.2024	2022-23

2.20 Training in Hindi Language, Hindi Stenography & Hindi Typing

About 40153 Central Government employees were trained during this period (01 April-2023 to 31st March-2024) under the Central Hindi Training Institute and Hindi Teaching Scheme out of which 35739, 4218 and 196 employees were trained in Hindi language, Hindi typing and Hindi stenography respectively.

2.21 Translation & Translation Training Courses

Central Translation Bureau translated 21273 standard pages during the year. Apart from this, a total of 47 Translation Training Courses were organized for the officers and employees of Central Government associated with the implementation of the Official Language wherein training was imparted to a total of 1062 officers/employees.

2.22 Central Secretariat Official Language Conference/Technical Conference

The Department organized the second technical conference on June 06, 2023, for the officers of the Central Secretariat Official Language Service Cadre at Ambedkar International Center, Janpath, New Delhi, in which about 800 officers/employees associated with the implementation of the official language of the Central Government participated. The Conference held under the Chairmanship of Hon'ble Minister of State for Home Affairs witnessed detailed presentations and discussions on various topics related to Hindi such as Kanthasth, Quarterly progress reports etc.

क्र.स.	क्षेत्र	स्थान	पुरस्कार की संख्या	तिथि	वर्ष के पुरस्कार
1.	मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र	मुंबई	48 शील्ड व 48 प्रमाण पत्र	23.11.2023	2022-23
2.	उत्तर-1 एवं उत्तर-2	जोधपुर	64 शील्ड व 64 प्रमाण पत्र	28.12.2023	2022-23
3.	दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम	बेंगलुरु	32 शील्ड व 32 प्रमाण पत्र	19.01.2024	2022-23
4.	पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र	सिलीगुड़ी	48 शील्ड व 48 प्रमाण पत्र	08.03.2024	2022-23

2.20 हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि व हिंदी टंकण प्रशिक्षण

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षा योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) केंद्र सरकार के लगभग 40,153 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें हिंदी भाषा में 35,739, हिंदी टंकण में 4218 तथा हिंदीआशुलिपि में 196 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

2.21 अनुवाद एवं अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा वर्ष के दौरान 21,273 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कुल 47 अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 1062 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

2.22 केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग सम्मेलन/तकनीकी सम्मेलन:

विभाग द्वारा दिनांक 06 जून, 2023 को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों हेतु अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में द्वितीय तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र सरकार के राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े लगभग 800 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हुए। माननीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे कंठस्थ, तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गई और विचार-विमर्श किया गया ।

CHAPTER-3

Measures to implement the Official Language Policy

3.1 Annual Programme for implementation of the Official Language Policy

The Official Language Resolution, 1968 has entrusted the Central Government with the responsibility of preparing and implementing an intensive and comprehensive programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union. In pursuance of this Resolution, Department of Official Language prepares an Annual Programme.

3.2 Award Schemes for the implementation of the Official Language Policy

Official Language Policy is to be implemented through motivation, encouragement and goodwill. Accordingly, several incentive schemes have been introduced for accelerating the use of Hindi, in the official work. Rajbhasha Kirti Awards Scheme for Ministries / Departments of the Government of India, Banks/Financial Institutions and Public Sector Undertakings and Rajbhasha Gaurav Awards Scheme for individuals have been introduced in 2015-16 to encourage outstanding achievement in the implementation of Official Language policy of the Union and to promote original book writing in Hindi respectively. Some amendments have been made in these schemes in 2022-23 and now under **Rajbhasha Kirti Awards** Scheme, awards are given for the following **Five categories**:-

1) Rajbhasha Kirti Shield for Ministries/Departments of the Government of India.
2) Rajbhasha Kirti Shield for Nationalised Banks and other Financial Institutions.
3) Rajbhasha Kirti Shield for Public Sector Undertakings of the Government of India.
4) Rajbhasha Kirti Shield for Government of India Boards, Autonomous Bodies, Trusts, Societies collectively.
5) Rajbhasha Kirti shield for in-house Hindi Magazines.

Under Amended **Rajbhasha Gaurav Awards Scheme from 2022-23**, awards are given for the following **four categories**:-

1) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on knowledge and science based subjects.
2) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on Forensic Science, Police, Criminology Research and Police Administration.
3) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi on subjects related to Culture, Religion, Arts and Heritage.
4) Rajbhasha Gaurav Puraskar for writing original book in Hindi in the field of law.

अध्याय-3

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उपाय

3.1 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसार, केंद्र सरकार को हिंदी के प्रसार तथा विकास की गति बढ़ाने और संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसका प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए एक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया था । इस संकल्प के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है ।

3.2 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार योजनाएं

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं । वर्ष 2015-16 से भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप राजभाषा कीर्ति एवं नागरिकों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2022-23 से इन योजनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं और अब **राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना** के अंतर्गत निम्नलिखित **पांच श्रेणियों** के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं:-

1) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए राजभाषा कीर्ति शील्ड
2) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए राजभाषा कीर्ति शील्ड
3) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजभाषा कीर्ति शील्ड
4) भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी इत्यादि के लिए समेकित रूप से राजभाषा कीर्ति शील्ड
5) हिंदी गृह पत्रिका के लिए राजभाषा कीर्ति शील्ड ।

इसी प्रकार वर्ष 2022-23 से संशोधित **राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना** के अंतर्गत निम्नलिखित **चार श्रेणियों** के लिए पुरस्कार दिए जाते हैः-

1) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार ।
2) न्यायालिक विज्ञान, पुलिस, अपराध शास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार ।
3) संस्कृति धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार ।
4) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार ।

3.3 Quarterly Progress Report regarding the use of Hindi

With a view to keep a watch on the progress of implementation of Government orders relating to the Official Language, the provisions of the Official Languages Act, the Official Language Rules, Quarterly Progress Reports are obtained online from all Ministries/Departments and their attached/subordinate offices etc. These reports are reviewed and shortcomings are brought to the notice of the Ministries/Departments/Offices concerned. The Quarterly Progress Reports of the attached and subordinate offices are also reviewed by the Departments or Ministries concerned.

3.4 Issue of prescribed documents in bilingual form

Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 envisages that both Hindi and English shall be used for the certain prescribed official purposes of the Union. Government is paying special attention to the compliance of this statutory requirement. As per Quarterly Progress Reports received from Ministries/Departments, all documents ought to be issued under Section 3 (3) were issued bilingually with a few exceptions.

3.5 Progress relating to inspections

As the nodal Department, the responsibility for monitoring use of Hindi in Central Government offices is entrusted to the Department of Official Language. This responsibility is discharged through inspections carried out by the officers of the Department and its regional implementation offices. During the year, 1415 inspections were carried out by the officers of the Department Official Language.

3.6 Progress made under Rule 10(4) of the Official Languages Rules, 1976

In accordance with Rule 10(4) of the Official Languages (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 framed under the Official Languages Act, 1963, Central Government offices where 80% or more employees have acquired working knowledge of Hindi, are to be notified in the Official Gazette. Action regarding notifying offices under this provision is being taken speedily. 34251 Central Government Offices have been notified under this rule so far.

3.7 Rule 8(4) of the Official Languages Rules, 1976

The Central Government may, by order specify the notified offices where Hindi alone shall be used for noting, drafting and for such official purposes as may be specified in the order, by employees who possess proficiency in Hindi.

3.3 हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम संबंधी प्रावधानों तथा भारत सरकार के राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि से तिमाही प्रगति रिपोर्टें ऑनलाइन मंगाई जाती है । इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और पाई गई कमियों की ओर संबंधित मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा संबंधित विभाग या मंत्रालय द्वारा स्वयं भी की जाती है ।

3.4 निर्धारित कागज-पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाना

राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3 (3) में यह व्यवस्था है कि संघ के कतिपय निर्धारित सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा । इस सांविधिक अपेक्षा के अनुपालन पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है । मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष के दौरान धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज, कुछ अपवादों को छोड़कर, द्विभाषी रूप में जारी किए गए ।

3.5 निरीक्षण कार्य में प्रगति

नोडल विभाग होने के नाते राजभाषा विभाग को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है । यह दायित्व राजभाषा विभाग तथा इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके पूरा किया जाता है । वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा 1415 निरीक्षण किए गए ।

3.6 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत हुई प्रगति

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है । इस प्रावधान के अंतर्गत कार्यालयों को अधिसूचित करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है । अब तक केंद्र सरकार के 34,251 कार्यालयों को अधिसूचित किया जा चुका है।

3.7 राजभाषा नियम, 1976 का नियम 8 (4)

केंद्र सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा ।

3.8 Correspondence in Hindi

Out of a total number of 3,30,665 letters received in Hindi during the year 2023-24, in different Ministries/Departments, all the letters were replied to in Hindi with a few exceptions. During the same period number of letters issued in Hindi by various Ministries / Departments was 30,50,977. Whenever it was noticed from the quarterly reports sent by Ministries/ Departments that targets for Hindi correspondence have not been achieved the fact was brought to the notice of the Ministry/Department concerned for improvement.

3.9 Redressal of Grievances

In pursuance with the order of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Administrative Reforms and Public Grievances), a Complaint Section has been set up in the Department of Official Language for the redressal of grievances.

During the year 2023-24, the complaints representations/RTI Applications/Appeals in addition to those received on CPGRAMS portal regarding the violation of the Official Language Policy of the Union and the Act in Central Ministries/Departments/Offices/ Public Sector Undertakings/ Corporations/Banks etc, received from official/ non-officials persons and organizations were redressed by forwarding them to concerned Divisions/Sections of the Department of Official Language or concerned Ministry/Department/offices/PSUs etc. for ensuring suitable actions. During the year, 446 complaints have been disposed of.

3.8 हिंदी में पत्राचार

वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालयों/विभागों में हिंदी में प्राप्त कुल 3,30,665 पत्रों में से कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए । इस अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या 30,50,977 है । मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा विभाग को भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों में जहां यह देखा गया कि हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, वहां संबंधित मंत्रालयों/विभागों को स्थिति में सुधार करने के लिए कहा गया है ।

3.9 शिकायतों का समाधान

लोक शिकायतों के निवारण के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग) के आदेश के अनुपालन में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में शिकायत अनुभाग की स्थापना की गई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/स्वायत्त निकायों/बैंकों आदि में संघ की राजभाषा नीति/अधिनियम/नियम आदि के उल्लंघन से संबंधित सरकारी/गैर सरकारी व्यक्तियों तथा संगठनों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों/आर.टी.आई. आवेदनों/ अपीलों के अतिरिक्त सीपीग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों/अपीलों के निवारण के लिए राजभाषा विभाग के संबंधित प्रभागों/अनुभागों अथवा संबंधित मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों/उपक्रमों आदि को प्रेषित करके उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई । वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या 446 रही।

CHAPTER-4

CENTRAL TRANSLATION BUREAU

4.1 Translation of Non-statutory Procedural Literature and Training in Translation.

Central Translation Bureau was set up on 1st March, 1971 under the Ministry of Home Affairs for translation of different types of Non-statutory literature, Manuals, Codes and forms etc., in respect of various Ministries, Departments, offices of the Central Government, Undertakings, Banks etc. Since then, this work is regularly being done by the Bureau. Apart from this, Central Translation Bureau has also been entrusted with the responsibility of translating reports of various Commissions, such as Sarkaria Commission, National Commission for Minorities, National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Fifth Pay Commission, Jain Commission etc. constituted by the Central Government. As per the recommendation of the Committee of Parliament on Official Language, various Training Institutes have to prepare their training material in both the languages, i.e. Hindi and English, therefore the training material of various Training Institutes is also translated by the Bureau. From March 1, 1971 to March 2024, 19,79,671 number of standard pages have been translated under Regular Establishment scheme.

In order to expedite translation work, a scheme for Expansion of Translation Capacity was introduced from April, 1989 under which translation was done by outside translators on payment basis. Under this Scheme, 6,77,332 standard pages were translated up to July 2014. The scheme was stopped vide file No.13011/48/2014 O.L (C.T.B), Dated 28.07.2014.

Besides, with a view to ensuring translation in a simple, lucid and easily intelligible language, to improve the quality of translation, to bring uniformity and accuracy of terminology as envisaged in the Official Language Policy and also to apprise the translators with the old and new concepts in the field of translation, spellings, script, grammar and linguistics, Hindi officers, Hindi translators and Officers/employees dealing with the work of translation and implementation of Official Language Policy are imparted training in these subjects during theory and practical classes by Central Translation Bureau. 05 Various training courses are being conducted by the Bureau for this purpose.

अध्याय-4

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

4.1. असांविधिक कार्यविधि साहित्य का अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों, बैंकों आदि के मैनुअलों, कोडों, फार्मों तथा अन्य विविध असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च, 1971 को की गई । तब से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो लगातार यह कार्य कर रहा है । उपर्युक्त सामग्री के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, पांचवां वेतन आयोग, जैन आयोग आदि विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों का अनुवाद कार्य भी ब्यूरो को सौंपा गया । संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार अब विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करनी है । इसलिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों की सामग्री भी ब्यूरो में अनुवाद के लिए प्राप्त हो रही है । केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में नियमित स्थापना के अंतर्गत मार्च, 2024 तक 19,79,671 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया है ।

इसके अलावा, अनुवाद कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए अप्रैल,1989 से अनुवाद क्षमता विस्तार योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत भुगतान आधार पर ब्यूरो से बाहर के अनुवादकों से अनुवाद करवाया जाता था । इस योजना के अंतर्गत जुलाई, 2014 तक 6,77,332 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया। दिनांक 28.7.2014 की फाइल .सं. 13011/48/2014-रा.भा.(केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) के आदेश के अनुसार अनुवाद क्षमता विस्तार योजना बंद कर दी गई ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सहज, सरल और सुबोध भाषा में अनुवाद करने, अनुवाद की गुणवत्ता, शब्दावली की एकरूपता और परिशुद्धता सुनिश्चित करने एवं अनुवादकों को अनुवाद, वर्तनी, लिपि, व्याकरण तथा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पुरानी एवं नई संकल्पनाओं से परिचित कराने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के हिंदी अधिकारियों/हिंदी अनुवादकों तथा अनुवाद कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद-संबंधी विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और नियमित रूप से अनुवाद का अभ्यास कराया जाता है । ब्यूरो द्वारा इस प्रयोजन के लिए 05 विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

4.2. Translation work by Regular Establishment

Under its Regular Establishment, 19,79,671 standard pages have been translated by the Central Translation Bureau from the date of its inception i.e. from 1st March,1971 to 31th March, 2024.

Like in the past, Bureau has, proportionate to the number of translators, an annual target of translating 30,000 standard pages for the year 2023-2024. Out of this, 21273 standard pages have been translated from 1st April,2023 to 31th March 2024.

4.3 Scheme for Expansion of Translation Capacity

Bureau has limited capacity of translating material received from various offices of Central Government. However, it continuously receives material for translation every year. As a result there always remains a fair amount of backlog of translation material. In order to dispose of the pending work as early as possible, a Scheme for Expansion of Translation Capacity from April, 1989 was introduced under which translation was done by translators outside the Bureau, on payment basis. As such from the date of inception of this scheme to July, 2014 6,77,332 standard pages have been translated under this scheme. As per File No.13011/48/2014 O.L (C.T.B) Order, Dated 28.07.2014, the Scheme for Expansion of Translation capacity has been stopped**.**

Thus, Central Translation Bureau has translated a total number of 26,57,003 standard pages until 31, March 2024 under both i.e. Regular Establishment and Expansion of Translation Capacity Scheme.

4.4 Training

1. Central Ttranslation Bureau is an apex body of Government of India, Department of Official Language in the field of Ttranslation and Ttranslation Training. In order to enhance skill in translation, Translation Training imparted by the Central Translation Bureau for the Translators and Officers/employees engaged in translation work in the Ministries, Departments, Offices of the Central Government, Undertakings, Nationalized banks and Corporations etc. Details of various Translation Training Programme organized by the Bureau headquarter and its three translation training centres, situated at Mumbai, Bangalore and Kolkata from April 2023 to March 2024 are as follows:

(i) Induction Translation Training (compulsory)(30 Working days)

Under Induction Training Programme (30 working days), Translation training is imparted to Translators, Hindi Assistants and other employees engaged in works related to the implementation of Official Language Policy in Ministries, Departments, Offices of the Central Government, Banks, Undertakings, Corporations, Autonomous Bodies. Duration of this programme is 30 working days.

4.2. नियमित स्थापना द्वारा अनुवाद कार्य

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अपनी स्थापना की तारीख 1 मार्च, 1971 से 31 मार्च, 2024 तक 19,79,671 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया ।

गत वर्षों की तरह, वर्ष 2023-2024 के लिए नियमित स्थापना का अनुवादकों की संख्या के अनुपात के अनुरूप अनुवाद कार्य का लक्ष्य 30,000 मानक पृष्ठों का है । इनमें से 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक 21,273 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया ।

4.3 अनुवाद क्षमता विस्तार योजना

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सामग्री का अनुवाद करने की क्षमता सीमित है। परंतु लगभग उतनी ही या उससे अधिक सामग्री अनुवाद के लिए प्रतिवर्ष एकत्र हो जाती है । अत: अनुवाद का बैकलॉग बना रहता है। लंबित कार्य को यथाशीघ्र निपटाने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अप्रैल, 1989 से 'अनुवाद क्षमता विस्तार योजना' शुरु की गई। इसके अंतर्गत ब्यूरो से बाहर के अनुवादकों से भुगतान आधार पर अनुवाद करवाया जाता था । इस प्रकार, इस योजना के प्रारंभ से लेकर जुलाई, 2014 तक 6,77,332 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य पूरा किया गया। दिनांक 28.07.2014 की फा0 सं0 13011/48/2014-रा.भा. (के.अनु.ब्यूरो) के आदेश के अनुसार, अनुवाद क्षमता विस्तार योजना बंद कर दी गई।

इस प्रकार, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की नियमित स्थापना तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 तक कुल 26,57,003 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया ।

4.4 <u>प्रशिक्षण</u>

1. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार, राजभाषा विभाग की एक शीर्ष संस्था है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निगमों आदि में कार्यरत अनुवादकों तथा अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक ब्यूरो मुख्यालय एवं इसके मुंबई,बेंगलूर एवं कोलकाता स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित किए गए विविध अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(i) प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण (अनिवार्य) (30 कार्य दिवस)

प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (30 कार्य दिवस) के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निगमों आदि में कार्यरत अनुवादकों, हिंदी सहायकों तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम की अवधि 30 कार्यदिवस है।

During every financial year, target has been set to conduct total 16 programmes for The Headquarter and Translation Training Centres situated in Mumbai, Bengaluru and Kolkata. (4 programmes for each centre). In the last week of the training programme Exam is conducted and on the successful completion of the training Certificate and Medal is given. Under this training programme 16 training programme have been conducted upto 31st March 2024 in which 296 tranees have been trained.

(ii) Advanced Translation Training Programme for Officers (5 working Days)

Under Advanced Translation Training Programme, training is imparted to the officers engaged in works related to the implementation of Official Language Policy in Ministries, Departments, Offices of the Central Government, Undertakings and Nationalized Banks. This training is delivered through expert guest lecturers. This programme is conducted only at the Headquarter, New Delhi. Every year three such five days training programmes are conducted. Under this Advanced Translation Training Programme total 3 programmes were conducted till 31.03.2024 in which total 85 number of Officers have been trained.

(iii) Refresher Translation Training Programme (5 working Days)

Under Refresher Translation Training Programme, training is imparted to Hindi translators and all those other employees (irrespective of their designation) engaged in work related to the implementation of Official Language Policy in Ministries, Departments, Offices of the Central Government, Undertakings etc., who have undergone in 3 months Translation/ Ongoing 30 working days induction training programme. During every financial year target for conducting 8 training programmes has been set up for CTB, Headquarter and its training centres (two programmes for each Centre). These training programmes are organised with the help of expert guest faculties. Total 7 programmes have been conducted till 31, March 2024 in which 99 personnel have been trained.

(iv) Short Term Translation Training Programme (outreach) (5 working days)

Short Term Translation Training is imparted to personnel engaged in works related to the implementation of Official Language Hindi in Offices/Organizations of the Government of India., Undertakings etc. This programme is an outreach programme. This is organized anywhere in India on the demand of any office, organisation, and TOLIC. During every financial year, target has been set to organise 16 programmes i.e. 10 programmes at CTB Headquarter and 6 programmes in each centre (two at each centre). On successful completion of the training, certificates are given to the participants. Under this Short Term Translation Training Programme, total 6 programmes have been conducted till 31, March 2024 in which 476 personnel have been trained.

प्रत्येक वित्त वर्ष में मुख्यालय तथा मुंबई, बेंगलूर और कोलकाता में स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 16 कार्यक्रमों (प्रत्येक केंद्र 4 कार्यक्रम) के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सप्ताह में परीक्षा एवं अंत में प्रमाण पत्र तथा पदक प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 तक 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 296 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ii) अधिकारियों के लिए उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 कार्य दिवस)

उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण विशेषज्ञ अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण केवल मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। ये पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में तीन आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में 31 मार्च, 2024 तक 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 85 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(iii) पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 कार्य दिवस)

पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि में कार्यरत हिंदी अनुवादकों एवं राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े उन सभी कर्मचारियों (पदनाम चाहे जो भी हों) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिन्होंने पूर्व में संचालित त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम, 30 कार्य दिवसीय प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। प्रत्येक वित्त वर्ष में मुख्यालय तथा तीनों केंद्रों सहित 8 कार्यक्रमों (प्रत्येक केंद्र 2 कार्यक्रम) के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषज्ञ अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से आयोजित होते हैं। इस कार्यक्रम में 31 मार्च, 2024 तक 7 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 99 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(iv) संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (आउटरीच) (5 कार्य दिवस)

संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के कार्यालयों/संगठनों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह आउटरीच कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम किसी भी कार्यालय/संगठन तथा नराकास की मांग पर भारत में कहीं भी आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो मुख्यालय में 10 तथा तीनों केंद्रों के लिए 6 कार्यक्रमों (प्रत्येक केंद्र 2 कार्यक्रम) सहित कुल 16 कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें प्रशिक्षण के समापन पर सहभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इस संक्षित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंर्तगत 31 मार्च, 2024 तक कुल 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 476 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(v) Special Technical Translation Training Programme (5 working days)

This Programme is meant for Hindi officers/ Senior officers /Technical Officers. 'Special Technical Translation Training Programmes are organized with the help of experts and guest faculties. These programmes are meant for specific Organization, in which lectures are given by in house experts and guest faculties. Bureau Officers only co-ordinate these programmes. One programme (total 4 programmes) is conducted during the each quarter of the financial year under this programme. This programme is organized in the Bureau Headquarter, New Delhi or anywhere in India on the request of any office, organization, and TOLIC. On successful completion of the programme certificates are given to the participants. Under this Special Technical Translation Training Programme 5 programme have been conducted till 31, March 2024 in which 106 personnel have been trained.

A total number of 1062 Personnel/officers have been trained in all the above mentioned 47 programmes of five translation training programmes till now.

(v) विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 कार्य दिवस)

यह कार्यक्रम हिंदी अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों/तकनीकी अधिकारियों के लिए नियत है। 'विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम' विशेषज्ञ विद्वानों के सहयोग और अतिथि व्याख्याताओं के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम संगठन विशेष के लिए होते हैं। इसमें संबंधित संगठन के विशेषज्ञ तथा बाह्य विशेषज्ञ व्याख्यान देते हैं। ब्यूरो के अधिकारी केवल इन कार्यक्रमों का समन्वय करते हैं। इसके अंतर्गत वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक कार्यक्रम (कुल 4 कार्यक्रम) का आयोजन होता है। यह कार्यक्रम ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली में अथवा कार्यालयों/संगठनों/ उपक्रमों एवं नराकास के अनुरोध पर भारत में कहीं भी आयोजित किया जा सकता है। इसमें प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में 31 मार्च, 2024 तक 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 106 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

इस प्रकार अब तक उपर्युक्त पांच अनुवाद प्रशिक्षण के 47 कार्यक्रमों में 1062 कार्मिकों/अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

CHAPTER-5

HINDI TEACHING SCHEME AND KENDRIYA HINDI PRASHIKSHAN SANSTHAN

5.1 Hindi Teaching Scheme

According to the Presidential Order of 27th April, 1960 training in Hindi of all Central government employees except those belonging to 'D' categories specified therein has been made compulsory and Hindi Typing and Hindi Stenography Training is also compulsory for those LDC's, Typists and Stenographers who don't know Hindi typing and Hindi Stenography. To achieve this objective, the Hindi Teaching Scheme has been established. Regular attendance in classes and appearing in the prescribed examination is obligatory for all employees. Training in Hindi has also been made compulsory for the employees of Companies, Corporations undertakings, Banks etc. owned or controlled by the Central Government.

5.2 Facilities and incentives for learning Hindi

Several incentives and cash awards are given to the Central Government employees for undergoing training in Hindi, details of which are as under:-

FACILITIES :

1. No fees is charged for Hindi Training and examinations from Govt. Officers and employee.
2. Text-books are given free of cost.
3. Classes are held during office hours.
4. Conveyance charges are reimbursed for attending the classes.
5. Conveyance charges/actual charges are given to the employees for appearing in examination as per rules.
6. Permitted for appearing in examination as private candidate also.
7. Training and examinations will be considered as a part of duty.
8. Separate classes for Gazetted Officers are also conducted for teaching them Hindi.
9. On passing the prescribed examinations, entries are made in the service books.
10. No income-tax is charged on cash and lump-sum awards.

अध्याय-5

हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

5.1 हिंदी शिक्षण योजना

राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार, वर्ग "घ" श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ ऐसे टंककों तथा आशुलिपिकों के लिए भी हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि सीखना अनिवार्य है, जिन्हें हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि नहीं आती। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी शिक्षण योजना का गठन किया गया। इन कक्षाओं में नामांकित कर्मचारियों के लिए कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहना और परीक्षा में बैठना अनिवार्य है । केंद्रीय सरकार के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

5.2 हिंदी सीखने के लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन

हिंदी प्रशिक्षण पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनेक प्रोत्साहन तथा नकद पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

सुविधाएं

1. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रशिक्षण और परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती ।
2. पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।
3. कक्षाएं दफ्तर के समय में चलाई जाती हैं।
4. कक्षाओं में आने-जाने के लिए मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।
5. परीक्षाओं में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/वास्तविक व्यय दिया जाता है।
6. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने की भी छूट दी जाती है।
7. प्रशिक्षण व परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाता है।
8. राजपत्रित अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए अलग से कक्षाएं भी चलाई जाती हैं।
9. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में प्रविष्टियां की जाती हैं।
10. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता।

INCENTIVES:

(a) Personal Pay (equivalent to one increment for 12 months)

1. On passing the Pragya Examination to the officers/employees for whom the final examination is Pragya.
2. On passing the Praveen or Prabodh examination (as the case may be) with 55% or more marks to employees for whom the Praveen or Prabodh Examination are the final examinations.
3. To gazetted Officers for whom the final examination is Praveen, on passing the Praveen examination with 60% or more marks.

(b) Cash awards (on passing the examinations with distinction)

Prabodh	Praveen	Pragya	Parangat	Eligibility for cash awards
Rs. 1600/-	Rs. 1800/-	Rs. 2400/-	10000/-	70% or more marks
Rs. 800/-	Rs. 1200/-	Rs. 1600/-	7000/-	60% or more marks
Rs. 400/-	Rs. 600/-	Rs. 800/-	4000/-	55% or more marks

(c) Lump-sum awards (on passing the examinations by personal efforts)

For operational employees and employees posted at places where there are no center of Hindi Teaching Scheme.

Prabodh	Praveen	Pragya
Rs. 1,600/-	Rs. 1,500/-	Rs. 2,400/-

<u>प्रोत्साहन</u>

(क) वैयक्तिक वेतन (12 महीने के लिए एक वेतन-वृद्धि के बराबर)

1. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ परीक्षा अंतिम परीक्षा है, उन्हें प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर ।
2. जिन कर्मचारियों के लिए प्रवीण या प्रबोध परीक्षा ही अंतिम परीक्षा है, उन्हें प्रवीण या प्रबोध परीक्षा 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर पास करने पर।
3. जिन राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रवीण परीक्षा अंतिम परीक्षा है, उन्हें प्रवीण परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर पास करने पर।

(ख) नकद पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर)

प्रबोध (रुपये में)	प्रवीण (रुपये में)	प्राज्ञ (रुपये में)	पारंगत (रुपये में)	उत्तीर्ण करने पर नकद पुरस्कारों के लिए पात्रता
1600	1800	2400	10000	70 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर
800	1200	1600	7000	60 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर
400	600	800	4000	55 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर

(ग) एकमुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर)

प्रचालन कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारियों के लिए जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं, जहां हिंदी शिक्षण योजना के केंद्र नहीं हैं ।

प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
1600 रुपये	1500 रुपये	2400 रुपये

5.3 Facilities and incentives for learning Hindi Typing/Stenography

FACILITIES :

1. No fees is charged for Hindi Training and examinations from Govt. Officers and employee.
2. Text-books are given free of cost.
3. Classes are held during office hours.
4. Conveyance charges are reimbursed for attending the classes.
5. Conveyance charges/actual charges are given to the employees for appearing in examination as per rules.
6. Permitted for appearing in examination as private candidate also.
7. Training and examinations will be considered as a part of duty.
8. Permission is given to attend classes at the recognized Typing/Stenography centers. during office hours.
9. On passing the prescribed examinations, entries are made in the service books.
10. No income-tax is charged on cash and lump-sum awards.

INCENTIVES:

(a) Personal Pay (equivalent to one increment for 12 months)

1. To non-gazetted employees on passing the Hindi Typing/Stenography Examinations.
2. To Gazetted Stenographers also on passing the Hindi Stenography Examination with 90% marks or more.

Note:- On Passing Hindi stenography examinations personal pay is given to those stenographers whose mother tongue is not Hindi, for the first twelve months equivalent to two increments and for the next 12 months equivalent to one increment.

5.3 हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि सीखने के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन सुविधाएं

1. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रशिक्षण और परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती।
2. पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।
3. कक्षाएं कार्यालयी समय में चलाई जाती हैं।
4. कक्षाओं में आने-जाने के लिए मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।
5. परीक्षाओं में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/वास्तविक व्यय दिया जाता है।
6. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने की भी छूट दी जाती है।
7. प्रशिक्षण व परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाता है।
8. मान्यता प्राप्त टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर कार्यालय समय में प्रशिक्षण के लिए जाने की अनुमति दी जाती है।
9. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में प्रविष्टियां की जाती हैं।
10. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता।

प्रोत्साहन

(क) वैयक्तिक वेतन (12 महीने के लिए - एक वेतन-वृद्धि के बराबर)

1. अराजपत्रित कर्मचारियों को हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर।
2. राजपत्रित आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि परीक्षा 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लेकर प्राप्त करने पर।

टिप्पणी:- जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर पहले 12 महीनों के लिए दो वेतन-वृद्धियों और अगले 12 महीनों के लिए एक वेतन-वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(b) Cash awards (on passing the examinations with distinction) :

Amount	Hindi Typing	Hindi Stenography
Rs. 2400/	97% or more marks	95% or more marks
Rs. 1600/-	95% or more but less than 97% marks	92% or more but less than 95% marks
Rs. 800/-	90% or more but less than 95% marks	88% or more but less than 92% marks

(c) Lump-sum awards on passing the examination through own efforts

To the employees who are posted at places having no Hindi Typing/Stenography Training Centers:-

Hindi Typing	Rs. 1,600/-
Hindi Stenography	Rs. 3,000/-

5.4 <u>Courses in Hindi Teaching Scheme</u>

The following courses Prabodh, Praveen and Pragya are being run under this scheme. The duration of each course of Probodh, Praveen, Pragya and Parangat is five months.

PRABODH : Its standard is equivalent to the knowledge of Hindi of the Primary School level

PRAVEEN : Its standard is equivalent to the knowledge of Hindi of the Middle School level.

PRAGYA : Its standard is equivalent to the knowledge of Hindi of the High School level

PARANGAT : Its standard is equivalent to the knowledge of Hindi of the Degree level.

HINDI TYPING : The speed is 25 w.p.m . The duration of this course is six months.

HINDI STENOGRAPHY: The speed is 80 and 100 w.p.m. The duration of this course is 12 months.

(ख) नकद पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर)

राशि	हिंदी टाइपिंग	हिंदी आशुलिपि
2400 रुपये	97 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर	95 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर
1600 रुपये	95 प्रतिशत या अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक होने पर	92 प्रतिशत या अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम होने पर
800 रुपये	90 प्रतिशित या अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक होने पर	88 प्रतिशत या अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम होने पर

(ग) एकमुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर)

उन कर्मचारियों को जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोले गए हैं।

हिंदी टंकण - 1600 रुपये

हिंदी आशुलिपि - 3000 रुपये

5.4 हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम

योजना के अधीन निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं । प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि 05 माह की होती है।

प्रबोध - इसका स्तर प्राइमरी कक्षा की हिंदी के स्तर के बराबर है।

प्रवीण - इसका स्तर मिडिल स्कूल की हिंदी के स्तर के बराबर है।

प्राज्ञ - इसका स्तर हाई स्कूल की हिंदी के स्तर के बराबर है।

पारंगत - इसका स्तर स्नातक स्तर की हिंदी के बराबर है।

हिंदी टंकण- 25 शब्द प्रति मिनट की गति । यह छह महीने का पाठ्यक्रम होता है।

हिंदी आशुलिपि- 80 व 100 शब्द प्रति मिनट की गति। यह एक वर्ष का पाठ्यक्रम होता है।

5.5 Provision of Hindi Training Centres

(A) Hindi Language training Centres

In view of the number of central Govt. Employees who do not know Hindi, whole-time and Part time Teaching Centers are being run throughout the country under Hindi Teaching Scheme. Teachers have been appointed under the scheme to run these centers and the responsibility of supervising their efficient functioning has been entrusted to locally available senior Central Govt. Officers. In order to keep contact with these officers and for the smooth functioning of the scheme, five Regions have been set up under the scheme with the regional offices at Mumbai, Kolkata, Guwahati, Chennai and New Delhi. The Deputy Director is the Officer in-charge of each region who looks after the scheme's teaching, administrative and organizational work throughout the region. At present under the Hindi Teaching Scheme 299 training centers of Hindi Language are functioning throughout the country out of which 290 are full time and 09 are part time centers.

(B) Training Centres for Hindi Typewriting/ Stenography

Arrangements have also been made under the Hindi Teaching Scheme to impart training in Hindi Typing/Stenography to promote the use of Hindi in the working of the Central Govt. At present there are 26 Hindi Typing and Hindi Stenography training centers out of which 21 are full time and 05 are part time centers.

5.6. Kendriya Hindi Prashikshan Sansthan

The Kendriya Hindi Prashikshan Sansthan was set up on 31st August, 1985 under the Department of Official Language to achieve the following objectives:-

(1) Arranging full time intensive training Courses in Hindi for newly appointed non-Hindi Officers/Employees of Central govt., Undertakings, Enterprises and Banks etc. and to provide Hindi Typing and Hindi stenography training to the English Typists and Stenographers.

(2) Refresher courses for Instructors of training Institutes in order to apprise them of the latest techniques of teaching Hindi.

(3) Five full working days workshops are organized for such Officers/Employees of the Union Government who possess the knowledge of Hindi but they feel difficulty to work in Hindi.

5.5 हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था

क. हिंदी भाषा प्रशिक्षण केंद्र

केंद्र सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देश भर में पूर्णकालिक और अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं । प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं, जिनकी देख-रेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के स्थानीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाती है । इन अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने के लिए और योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए हिंदी शिक्षण योजना को पाँच क्षेत्रों में रखा गया है, जिनके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं । प्रत्येक क्षेत्र का प्रभारी उप निदेशक होता है, जो इस योजना का शैक्षिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक काम देखते हैं । इस समय हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देश भर में हिंदी भाषा के 299 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जिनमें 290 पूर्णकालिक और 09 अंशकालिक हैं।

ख. हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण केंद्र

केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है । इस समय देश में हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के 26 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनमें 21 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र और 05 अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं।

5.6 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 31 अगस्त, 1985 को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी:-

(1) केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती होने वाले हिंदी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी टंकण और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी शिक्षण की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(3) संघ सरकार के उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं किंतु हिंदी में काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं, के लिए पांच पूर्ण कार्य दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

5.6.1 Kendriya Hindi Prashikshan Sansthan and Up-Sansthans

05 Up-Sansthans (Sub-Institutes) have been established at New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Hyderabad and Chennai to speed up and expand the training capacity of the Sansthan.

At present 05 training centre of Hindi language and 05 training centre of Hindi Typing /Stenography total 10 training centres are operating under Central Hindi Training Institute and its Sub-institutes.

Thus 299+05=304 of Hindi language and 26+5=31 of Hindi Typing/Stenography training centres are being operated in the country under Hindi Teaching Scheme and Central Hindi Training Institute and total number of operated training centres are 304+31 = 335.

5.7 Training programmes achievement and its targets under Central Hindi Training Institute & Hindi Teaching Scheme:-

During the year 2023-24 details of enrolment of trainees, target and achievement under Hindi Teaching Scheme are as under:-

Sr.No.	Name of the Courses	Annual Target (01-04-2023 to 31-03-2024)	Achievement (As on 31.03.2024)
A.	**HINDI LANGUAGE**		
1.	**Hindi Teaching Scheme (Prabodh, Praveen, Pragya and Parangat)**	**24750**	**34192**
2.	**Intensive Hindi Training (Prabodh, Praveen and Pragya)**	**1620**	**274**
3.	**Language Correspondence Course (Prabodh, Praveen and Pragya)**	**1000**	**1273**
	Total	**27370**	**35739**

S.No.	Name of the Courses	Annual Target (01-04-2023 to 31-03-2024)	Achievement (As on 31.03.2024)
B.	**HINDI TYPING**		
1.	Hindi Teaching Scheme	2510	2814
2.	Intensive Typing	450	299
3.	Typing Correspondence Course	500	1105
	Total	**3460**	**4218**

5.6.1 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप-संस्थान

संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलूर, हैदराबाद और चेन्नै में 05 उप-संस्थान खोले गए हैं ।

वर्तमान में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों में हिंदी भाषा के 05 एवं हिंदी टंकण/आशुलिपि के 05 कुल मिलाकर 10 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं ।

इस प्रकार हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत देश भर में हिंदी भाषा के कुल 299+05=304 तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि के 26+05=31 तथा कुल 304+31=335 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं ।

5.7 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण:-

वर्ष 2023-24 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के नामांकन, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**वार्षिक लक्ष्य (01-04-2023 से 31-03-2024 तक)**	**उपलब्धि (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)**
क.	**हिंदी भाषा**		
1.	हिंदी शिक्षण योजना (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत)	24750	34192
2.	गहन हिंदी प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत)	1620	274
3.	भाषा पत्राचार (प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ)	1000	1273
	कुल	**27370**	**35739**

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**वार्षिक लक्ष्य (01-04-2023 से 31-03-2024 तक)**	**उपलब्धि (31-03-2024 की स्थिति के अनुसार)**
ख.	**हिंदी टंकण**		
1.	हिंदी शिक्षण योजना	2510	2814
2.	गहन टंकण	450	299
3.	टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम	500	1105
	कुल	**3460**	**4218**

C. HINDI STENOGRAPHY

1.	Hindi Teaching Scheme	570	136
2.	Intensive Stenography	150	60
	Total	**720**	**196**

5.7.1 Statement of trainees participated in intensive training programme conducted by Central Hindi Training Institute and its Sub institutes.

The details of trainees participated in various courses conducted during 2023-24 (position as on 31-03-2024) are as under:-

Sl.No.	Name of the Course	Number of Participants (01.04.2023 to 31.03.2024)
1.	25 full working days intensive Prabodh Course	00
2.	20 full working days intensive Praveen Course	27
3.	15 full working days intensive Pragya Course	54
4.	20 full working days intensive Parangat Course	193
5.	40 full working day intensive Typing training for Typists/Clerks	299
6.	80 full working days intensive training in stenography	60
7.	05 full working days intensive Hindi workshops for employees/officers	232
8.	Other Short term Courses	152

ग.	**हिंदी आशुलिपि**		
1.	हिंदी शिक्षण योजना	570	136
2.	गहन आशुलिपि प्रशिक्षण	150	60
	कुल	**720**	**196**

5.7.1 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों में संचालित गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों का विवरण

वर्ष 2023-24 (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार) में चलाए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल प्रशिक्षार्थियों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	**पाठ्यक्रम का नाम**	**प्रतिभागियों की संख्या (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)**
1.	25 पूर्ण कार्य दिवसीय गहन प्रबोध पाठ्यक्रम	00
2.	20 पूर्ण कार्य दिवसीय गहन प्रवीण पाठ्यक्रम	27
3.	15 पूर्ण कार्य दिवसीय गहन प्राज्ञ पाठ्यक्रम	54
4	20 पूर्ण कार्य दिवसीय गहन पारंगत पाठ्यक्रम	193
5.	टंककों/लिपिकों के लिए 40 पूर्ण कार्य दिवसीय टंकण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	299
6.	आशुलिपिकों के लिए 80 पूर्ण कार्य दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	60
7.	कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय गहन हिंदी कार्यशाला	232
8.	अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	152

CHAPTER-6

EFFORTS TO INCREASE THE USE OF OFFICIAL LANGUAGE THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TOOLS (ICT)

For compliance with the Official Language Policy, facility of working in Devanagari Script is necessary. To achieve this objective, the Technical Cell has been working in the Department of Official Language. The followings are activities and achievements of Technical cell during the year:-

1. In the present era, no language can develop without associating itself with Information Technology. Evidently, it has now become easier to use Hindi, more and more in scientific and technical subjects in Central Government Offices due to the availability of Information Technology facilities including computers, e-mails and websites. The Department of Official Language is making continuous efforts in this direction. In this connection, on the occasion of the Hindi Day and Third All India Official Language Conference held in Pune (Maharashtra) on September 14-15, 2023, the Hon'ble Minister of State for Home Affairs released the version 2 of "Hindi Shabd Sindhu, a comprehensive and inclusive dictionary" and 'Integration of Kanthastha 2.0 with e-office' and updated version of the manual regarding the use of official language Hindi (31 July, 2023).

2. 'Hindi Shabd Sindhu' is being developed to enrich Hindi with the words from other Languages of the country. In this dictionary, along with the vocabulary related to various subjects i.e. - Mass Communication, Ayurveda, Sports, Space Science, Physics, Chemistry, Biology, Aeronautics, Computer Science, Electronics, Geology, Humanities, etc., traditional vocabulary is also being included. In this dictionary along with the entry, its grammatical category, meaning, synonym, usage as per requirement, antonyms, idioms and other necessary information have been given. This dictionary is completely digital and in searchable format. This will be a dictionary which will be fully up-to-date and inclusive, having collection of all words used in Hindi with their meanings. In the dictionary, words from Hindi language and Hindi speaking region's dialects and languages, common words of other Indian languages, media and new media terms, words of technology and science, words of law and justice are also being included. This will be fully Digital - Web based. The dictionary is being developed as per the standardized spelling prescribed by the Central Hindi Directorate. Unicode font is being used in this dictionary which will have facility to search words by typing in Hindi and English

अध्याय-6

सूचना तथा संचार टूल (आईसीटी) के माध्यम से राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रयास

राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए देवनागरी लिपि में कार्य करने की सुविधा आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राजभाषा विभाग में एक तकनीकी प्रकोष्ठ कार्यरत है। वर्ष के दौरान तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यकलाप और प्राप्त की गई उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

1. वर्तमान युग में कोई भी भाषा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े बिना नहीं पनप सकती । यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कंप्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट सहित सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध होने से वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना और भी आसान हो गया है। राजभाषा विभाग निरंतर इस दिशा में काम कर रहा है। इसी क्रम में पुणे (महाराष्ट्र) में 14-15 सितंबर, 2023 को सम्पन्न हुए हिंदी दिवस और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह राज्य मंत्री जी द्वारा "हिंदी शब्द सिंधु एक बृहत् एवं समावेशी शब्दकोश" के संस्करण 2 तथा 'कंठस्थ 2.0 के ई- ऑफिस के साथ एकीकरण' का लोकार्पण किया गया तथा राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियमपुस्तक के अद्यतन संस्करण (31 जुलाई, 2023) का लोकार्पण किया गया।

2. 'हिन्दी शब्द सिंधु'- बृहत् शब्दकोश देश की अन्य भाषाओं के शब्दों से हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विषयों- जनसंचार, आयुर्वेद, खेलकूद, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, वैमानिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रॉनिक्स, भू-गर्भशास्त्र, मानविकी आदि से संबंधित शब्दावली के साथ-साथ पारंपरिक शब्दावली को भी समाहित किया जा रहा है। इस शब्दकोश में शब्द की प्रविष्टि के साथ-साथ उसकी व्याकरणिक कोटि, अर्थ, पर्याय, आवश्यकतानुसार प्रयोग, विलोम, मुहावरे एवं तत्संबंधी अन्य आवश्यक जानकारियाँ दी गई है। यह शब्दकोश पूर्णतया डिजिटल तथा खोजपरक (सर्चेबल) है। यह एक ऐसा शब्दकोश होगा जो पूर्णतः अद्यतन और समावेशी होगा तथा इसमें हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों का अर्थ सहित संग्रह होगा। इस शब्दकोश में हिंदी और हिंदी क्षेत्र की बोलियों, उपभाषाओं और भाषाओं के शब्द, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द मीडिया और न्यू मीडिया के शब्द, तकनीक और विज्ञान के शब्द तथा विधि एवं न्याय के शब्द भी शामिल किए जा रहे हैं। यह पूर्णतया डिजिटल वेब आधारित होगा तथा इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकीकृत वर्तनी के अनुसार तैयार किया जा रहा है। इसमें यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें हिंदी, अंग्रेजी में टंकण कर शब्द खोजने की सुविधा है।

3. In this updated version of **'Kanthasth 2.0'** (Anuvad Sarthi), three new features have been added, making it a very useful software. These features are as follows:

(i) Neural Machine Translation i.e. Machine based Translation-With the facility of neural machine translation it will now not only translate from its memory but will also provide machine translation.

(ii) Smart Chatbot - It's like "May I Help You". It briefly answers many questions for the new user. You may call it "FAQs" or "Frequently Asked Questions". With the help of these, users will get very important information regarding use of Kanthastha.

(iii) Voice Typing - Now the facility of voice typing has also been made available for typing in this software. User can also type by speaking.

4. Department of Official Language is making continuous efforts for the development of Hindi through Information and Technology. In order to make Hindi accessible to the masses, the Department of Official Language establishes liaison with Ministries/Departments, Undertakings, Banks etc. and tries to remove the difficulties in working in Hindi through software applications so that the development of Hindi can be done at a faster pace. On 6th June 2023, a technical conference was organized by the Department of Official Language for the second time for the officers of the Central Secretariat Official Language Service Cadre at Ambedkar International Center, Janpath, New Delhi, in which about 800 officers/employees associated with the implementation of the official language of the Central Government participated. In this conference organized under the chairmanship of the then Hon'ble Minister of State for Home Affairs, Government of India, Shri Ajay Kumar Mishra ji, detailed presentations and discussions were made on various topics related to Hindi like Kanthasth, quarterly progress report etc.

5. An ambitious plan has been drawn up to strengthen correspondence with all the States in their respective languages. For this, an Indian Language Section is being be set up under the Department of Official Language. For this, the necessary software will be prepared through C-DAC Pune and required personnel are being recruited to ensure the quality and accuracy of machine translation.

3. **"कंठस्थ 2.0"** (अनुवाद सारथी) के इस अद्यतन संस्करण में तीन नई विशेषताएं शामिल की गई हैं जिससे यह अब बेहद उपयोगी सॉफ्टवेयर बन गया है। ये फीचर इस प्रकार हैं :-

(i) न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन अर्थात मशीनी अनुवाद- इस सुविधा के अनुसार अब यह न केवल अपनी मेमोरी से अनुवाद देगा बल्कि मशीनी अनुवाद भी उपलब्ध कराएगा।

(ii) स्मार्ट चैटबोट- यह May I Help You की तरह है। इसमें नए प्रयोक्ता के लिए बहुत सारे प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दिए गए हैं। आप इन्हें एक प्रकार से "FAQs" या "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" कह सकते हैं। इनसे प्रयोक्ताओं को कंठस्थ का प्रयोग करने में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

(iii) वॉयस टाइपिंग-अब इस सॉफ्टवेयर में टंकण करने के लिए वॉयस टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। प्रयोक्ता बोलकर भी टाइप कर सकते हैं।

4. सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिन्दी के विकास के लिए राजभाषा विभाग निरंतर प्रयासरत है। हिंदी को जनमानस तक पहुँचाने के लिए राजभाषा विभाग सॉफ्टवेयर विकसित करवाने एवं प्रशिक्षण दिलवाने के साथ-साथ तकनीकी संगोष्ठियों के माध्यम से मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, बैंकों आदि से संपर्क स्थापित करता है एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग (Applications) द्वारा हिन्दी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है जिससे हिन्दी का विकास तेजी के साथ हो सके । राजभाषा विभाग द्वारा 06 जून 2023 को दूसरी बार केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों हेतु अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में एक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े लगभग 800 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हुए। तत्कालीन माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री अजय कुमार मिश्रा जी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे कंठस्थ, तिमाही प्रगति रिपोर्ट आदि पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गई और विचार-विमर्श किया गया।

5. सभी राज्यों से उनकी राज्य भाषा में पत्राचार को सबल बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। इसके लिए राजभाषा विभाग के अंतर्गत एक भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की जा रही है । इसके लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर का निर्माण सी-डैक पुणे के माध्यम से करवाया जाएगा तथा मशीन अनुवाद की गुणवता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्मिकों की भर्ती की जा रही है।

CHAPTER-7

PUBLICITY, PUBLICATION AND DISTRIBUTION OF LITERATURE

The Department of Official Language brings out a number of publications with a view to propagating the Official Language Hindi and to provide information on Rules, Regulations and orders issued in this regard from time to time. The publications are distributed free of cost to all Ministries/Departments, Offices, Undertakings, Banks, Institutes etc.

7.1 Quarterly magazine - Rajbhasha Bharti

A quarterly magazine titled 'Rajbhasha Bharti' is being brought out since year 1978. Total 163 issues of this magazine have been brought out till 31 March 2023. Good and educative articles written on Official Language/ literature /Informative Science in simple Hindi are given space in the magazine. 163^{rd} issue of Rajbhasha Bharti was released in 12^{th} World Hindi Conference which was held in Fiji on 15-17 February, 2023. Promotional activities related to Hindi in various central government offices are prominently placed in the magazine. To encourage writing on various technical/ scientific subjects in Hindi, such articles are given preference. Orders/Instructions issued by the Department from time to time are published in this magazine. Special issues are also issued from time to time. A souvenir was also published on the occasion of 3^{rd} Akhil Bhartiya Rajbhasha Sammelan held in Pune (Maharashtra) on 14-15 September, 2023.

7.2 Preparation of list of standard Hindi books

Ministries/Departments/Offices etc. of the Govt. of India are encouraged to purchase Hindi books in their Libraries, so that they can achieve prescribed targets set in the Annual Programme regarding purchase of Hindi books. For this purpose a list of standard Hindi books is prepared and circulated by the Department of Official Language every year. These lists are also made available on the website **www.rajbhasha.gov.in** of the Department.

7.3 Annual Programme

In accordance with the provisions of the Official Language Resolution, 1968 passed by both the Houses of Parliament, an intensive and comprehensive Annual Programme is prepared, fixing the targets with regard to transaction of work in Hindi in Ministries/ Departments/ Offices/ Undertakings/ Banks etc. of the Government of India. The Annual Programme for the year 2024-25 was distributed to all the Ministries / Departments etc. This Annual Programme was also made available on the website **www.rajbhasha.gov.in** of Department of Official Language.

अध्याय-7

प्रचार-प्रसार, प्रकाशन तथा साहित्य का वितरण

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, आदेशों की जानकारी देने के लिए राजभाषा विभाग विभिन्न प्रकाशन निकालता है। प्रकाशनों को सभी मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और संस्थानों आदि में नि:शुल्क वितरित किया जाता है।

7.1 तिमाही पत्रिका राजभाषा भारती का प्रकाशन

वर्ष 1978 से 'राजभाषा भारती' नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के मार्च, 2023 तक 163 अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं। पत्रिका में राजभाषा/साहित्य/ज्ञान-विज्ञान पर स्तरीय तथा सरल हिंदी में लिखे गए ज्ञानप्रद लेख प्रकाशित किए जाते हैं । दिनांक 15-17 फरवरी, 2023 को फिजी में हुए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में राजभाषा भारती अंक 163 का विमोचन किया गया । पत्रिका में केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है । विभिन्न तकनीकी/वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रिका में इस तरह के आलेखों को प्राथमिकता दी जाती है । इसके साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है । समय-समय पर विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं । दिनांक 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए स्मारिका का प्रकाशन भी किया गया।

7.2 हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची तैयार करना

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे वार्षिक कार्यक्रमों में हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी लक्ष्यों को पूरा कर सकें। इसके लिए प्रतिवर्ष स्तरीय पुस्तकों की एक सूची राजभाषा विभाग द्वारा तैयार करके जारी की जाती है। पुस्तक की सूची विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

7.3 वार्षिक कार्यक्रम

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर वितरित किया जाता है, जिसमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि में हिंदी में सरकारी कामकाज के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम सभी मंत्रालयों/विभागों आदि में वितरित किया गया। यह वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध कराया गया।

7.4 Annual Assessment Report

In compliance with the provisions of Official Language Resolution, 1968, an Annual Assessment Report is prepared, showing progress made in various Ministries/Departments etc. vis-à-vis targets fixed in the Annual Programme with regard to the various items of official language and is laid on the tables of both the Houses of Parliament. The shortfall in meeting the targets are brought to the notice of the concerned Ministry/Department for taking remedial measures. The Annual Assessment Report for the year 2021-22 was prepared and laid on the table of both the Houses of Parliament. The 54^{th} Annual Assessment Report for the year 2022-23 was laid on the table of the Lok Sabha on 30-07-2024 and on the table of the Rajya Sabha on 31-7-2024.

7.5 Greeting Messages

A number of requests from the Central Govt. Offices, Banks, Undertaking, Town Official Language Implementation Committees, various Academies and voluntary institutions for messages from the Hon'ble Home Minister, Ministry of State for Home Affairs, Secretary, Department of Official Language and Joint Secretary (OL) are received in the Department. Besides, Request seeking opinion about various Magazines/Publications/books are also received. Keeping in view that these messages are very useful in encouraging the progressive use of Hindi, almost all the requests are suitably replied and messages of the Hon'ble Home Minister, Hon'ble Minister of State for Home Affairs, Secretary and Joint Secretary, Department of Official Language etc. were dispatched.

7.6 Annual Report

The Annual Report pertaining to year 2022-23 was prepared by the Department of Official Language and copies of the Report were submitted to Lok Sabha and Rajya Sabha offices. Besides, copies of the Annual Report were distributed to all the Ministries/Departments.

7.4 वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

राजभाषा संकल्प, 1968 के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में की गई प्रगति दर्शायी जाती है तथा इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई गई कमियों में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । इस अवधि में, वर्ष 2021-22 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई और इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। वर्ष 2022-23 की 54वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट लोक सभा के पटल पर दिनांक 30-07-2024 को व राज्य सभा के पटल पर दिनांक 31-07-2024 को रखी गई।

7.5 शुभकामना संदेश

विभाग द्वारा पूरे देश में फैले हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, विभिन्न अकादमियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अपनी पत्रिकाओं/प्रकाशनों तथा समारोहों के लिए माननीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, सचिव (राजभाषा) तथा संयुक्त सचिव (राजभाषा) की ओर से शुभकामना संदेशों के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं | इसके अतिरिक्त, विभिन्न पत्रिकाओं/प्रकाशनों/पुस्तकों पर प्रतिक्रिया देने के बारे में भी अनुरोध प्राप्त होते हैं। चूँकि ये संदेश राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, विभाग द्वारा प्राय: सभी अनुरोधों का समुचित उत्तर देते हुए उन्हें गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी, सचिव तथा संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की ओर से संदेश आदि प्रेषित किए गए।

7.6 वार्षिक रिपोर्ट

राजभाषा विभाग की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई और इसकी प्रतियां लोक सभा और राज्य सभा कार्यालय में सौंपी गईं। इसके अलावा, इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में वितरित किया गया।

CHAPTER-8

CENTRAL SECRETARIAT OFFICIAL LANGUAGE SERVICE

8.1 The Central Secretariat Official Language Service (CSOLS) was constituted in the year 1981 consequent upon the decision taken by the Kendriya Hindi Samiti in year 1976, with a view to bring all the Hindi posts created in different Ministries/Departments and their Attached Offices in an integrated cadre and to provide uniform service conditions, pay scales and promotional avenues of the incumbents. The Department of Official Language is its Cadre Controlling Authority. This service includes all Hindi posts pertaining to implentation of Rajbhasha in various Ministries/Department of the Government of India and their Attached Offices except a few scientific and technical Departments, viz, Department of Information Technology, Department of Space, Department of Atomic Energy etc. In 2011 cadre of CSOLs was reviewed. Consequent upon the implementation of recommendations of the Seventh Central Pay Commission, and after inclusion of some of the Rajbhasha posts created in other Ministries/Departments in the CSOLs cadre and winding up of some department, the re-structured posts of CSOLS are as under:-

Sr No..	Designation	Level in Pay matrix (in Rs.)	Sanctioned post
1.	Director (OL)	Level-13 (123100-215900)	19
2.	Joint Director (OL)	Level-12 (78800-209200)	36
3.	Deputy Director (OL)	Level-11 (67700-208700)	84
4.	Assistant Director (OL)	Level-10 (56110-177500)	207
5.	Senior Translation Officer	Level-7 (44900-142400)	319
6.	Junior Translation Officer	Level-6 (35400-112400)	355
		Total	**1020**

8.2. The cadre of the CSOLS Service consists of 1020 posts in the above grades. These posts are in various Ministry/Department/Attached Officers of the Govt. of India located in Delhi except a few posts outside Delhi.

8.3. Consequent upon the cadre review, promotional opportunities have improved for the personnel working in various Ministry/Department and their Attached Offices.

अध्याय-8

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा

8.1 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संबद्द्ध कार्यालयों में सृजित हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्तें, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन वर्ष 1981 में केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष 1976 में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया था। राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है। इस सेवा में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के सभी हिंदी पद, कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग आदि को छोड़कर, शामिल है। वर्ष 2011 में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग की समीक्षा की गई। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन और केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में शामिल करने और कुछ विभागों के बंद हो जाने के बाद केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कुछ अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा सृजित करवाए गए पदों की पुन: संरचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान मैट्रिक्स में स्तर (रुपये)	स्वीकृत पद
1.	निदेशक (राजभाषा)	लेवल-13 (123100-215900)	19
2.	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	लेवल-12 (78800-209200)	36
3.	उप-निदेशक (राजभाषा)	लेवल-11 (67700-208700)	84
4.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	लेवल-10 (56100-177500)	207
5.	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	लेवल-7 (44900-142400)	319
6.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	लेवल-6 (35400-112400)	355
		कुल	**1020**

8.2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में उपर्युक्त ग्रेडों में 1020 पद हैं। ये पद मुख्यत: दिल्ली स्थित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों में हैं तथापि कुछ पद दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों में भी हैं।

8.3. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग की समीक्षा के परिणामस्वरूप, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों में हिंदी पदों पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाकालीन पदोन्नति के अवसरों में सुधार हुआ है।

CHAPTER 9

Committee of Parliament on Official Language

The Committee of Parliament on Official Language was constituted in the year 1976 under Section 4(I) of the Official Language Act, 1963. It is a highly Empowered Parliamentary Committee. It consists of 20 Lok Sabha Members and 10 Rajya Sabha Members. The Committee has inspected 1175 offices and has also taken Oral Evidence of about 882 dignitaries, including the Chief Justice of the High Courts, Chief Minister and Governor of the States from 01.04.2023 to 31.03.2024. The details related to various works of the Committee are as follows:

9.1 Background of the Committee of Parliament on Official Language

According to the Article 343 of Part 17 of the Constitution of India, the Official Language of the Union is Hindi. lts script is Devnagari. According to the provisions of Article 344, a Commission was formed to recommend for the maximum use of Hindi language for official purpose at the end of 5 years after the enactment of the Constitution and subsequently at the end of 10 years from its commencement. The Kher Commission was constituted on 7 June, 1955 to comply with this arrangement of the Constitution. A Parliamentary Committee (Pant Committee) was constituted to consider the recommendations of the Commission, consisting of 20 members from the Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha.

After the recommendations of this Commission and the opinion of the Parliamentary Committee, Presidential orders were issued on various topics like promotion and propagation of Hindi on 27th April, 1960. The Official Language Act was enacted in 1963 for implementation of Hindi. According to the provisions of section 4 (i) of this Act, a Parliamentary Committee was again constituted in January, 1976. The Committee consists of 20 members from the Lok Sabha and 10 members from the Rajya Sabha. It is a highly empowered Parliamentary Committee. This Committee held its first meeting on 04.03.1976. In this meeting, the Committee determined its procedure and functioning.

9.2 Duties of the Committee of Parliament on Official Language

To review the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union and submit a report to the President making recommendations thereon. This Report is placed before each House of the Parliament and sent to all State Governments. If the State Governments have expressed any opinion on the Report, then after consideration by the President, directions are issued on the entire Report or any part of it.

अध्याय-9

संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963, की धारा 4(I) के तहत वर्ष 1976 में किया गया था। यह एक उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 20 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति 01.04.2023 से 31.03.2024 तक 1175 कार्यालयों का निरीक्षण कर चुकी है तथा लगभग 882 गणमान्य व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य भी ले चुकी है, जिनमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आदि शामिल हैं। समिति की विभिन्न मदों से संबंधित विवरण इस प्रकार है:-

9.1 संसदीय राजभाषा समिति की पृष्ठभूमि

भारत के संविधान के भाग 17 के अनुछेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। इसकी लिपि देवनागरी है। अनुछेद 344 के प्रावधानों के अनुसार संविधान के लागू होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात इसके प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सिफारिश करने हेतु एक आयोग बना। संविधान की इस व्यवस्था के अनुपालन के लिए 7 जून, 1955 में खेर आयोग गठित हुआ। आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति (पंत समिति) का गठन किया गया, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा के थे।

इस आयोग की सिफारिशों और संसदीय समिति की राय के उपरांत 27 अप्रैल, 1960 को हिंदी के प्रचार-प्रसार आदि विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हुए। हिंदी के कार्यान्वयन के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम बना। इस अधिनियम की धारा 4 (i) के उपबंधों के अनुसार पुन: एक संसदीय समिति का गठन जनवरी, 1976 में किया गया। इस समिति में 20 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। यह एक उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इस समिति ने अपनी पहली बैठक 04.03.1976 को की। इस बैठक में समिति ने अपनी कार्यविधि एवं कार्यसंचालन का निर्धारण किया।

9.2 संसदीय राजभाषा समिति के कर्तव्य

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करना और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। इस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा सभी राज्य सरकारों को भिजवाया जाता है। प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत व्यक्त किया हो तो राष्ट्रपति द्वारा उस पर विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन या उसके किसी भाग पर निदेश जारी करना।

9.3 Composition of the Committee of Parliament on Official Language

3(As On 31 March, 2024)

The Committee was formed on 14.09.2019. The composition of this Committee is as follows:

Chairman, Committee of Parliament on Official Language
Shri Amit Shah, Union Home and Cooperation Minister

Deputy Chairman
Shri Bhartruhari Mahtab

Convenor
Shri Ramchander Jangra
(First Sub-Committee)

Member

1. Prof. Shrirang Appa Barne
2. Shri Dharmendra Kashyap
3. Shri Harnath Singh Yadav
4. Shri S. Muniswamy
5. Shri Ashok Kumar Yadav
6. Shri Shyam Singh Yadav
7. Shri Iranna Kadadi
8. Shri Sujeet Kumar

Convenor
Prof. Rita Bahuguna Joshi
(Second Sub-Committee)

Member

1. Smt. Ranjanben Dhananjay Bhatt
2. Shri Sushil Kumar Gupta
3. Shri Jyotirmoy Singh Mahato
4. Shri Ram Mohan Naidu Kinjarpu
5. Shri Kuldep Rai Sharma
6. Shri Manoj Tiwari
7. Shri Durga Das Uikey
8. Smt. Mala Rajya Laxmi Shah
9. Smt. Sangeeta yadav

Convenor
Dr. Manoj Rajoria
(Third Sub-Committee)

Member

1. Shri Dinesh Chandra Yadav
2. Shri Bashistha Narayan Singh
3. Shri Prataprao Jadhav
4. Shri Chirag Paswan
5. Ms. Saroj Pandey
6. Smt. Kanta Kardam
7. Dr. Amee Yajnik
8. Shri Basanta Kumar Panda

9.3 संसदीय राजभाषा समिति की संरचना (31 मार्च, 2024 के अनुसार)

इस समिति का गठन 14.09.2019 को हुआ था। इस समिति की संरचना इस प्रकार है:-

अध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति
श्री अमित शाह, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

↓

उपाध्यक्ष
श्री भर्तृहरि महताब

↓

संयोजक श्री राम चन्द्र जांगड़ा (पहली उप-समिति)	संयोजक प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (दूसरी उप-समिति)	संयोजक डॉ. मनोज राजोरिया (तीसरी उप-समिति)
सदस्य	**सदस्य**	**सदस्य**
1. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	1. श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट	1. श्री दिनेश चन्द्र यादव
2. श्री धर्मेन्द्र कश्यप	2. श्री सुशील कुमार गुप्ता	2. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह
3. श्री हरनाथ सिंह यादव	3. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो	3. श्री प्रतापराव जाधव
4. श्री एस. मुनिस्वामी	4. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	4. श्री चिराग पासवान
5. श्री अशोक कुमार यादव	5. श्री कुलदीप राय शर्मा	5. सुश्री सरोज पाण्डेय
6. श्री श्याम सिंह यादव	6. श्री मनोज तिवारी	6. श्रीमती कान्ता कर्दम
7. श्री ईरण्ण कडाडि	7. श्री दुर्गा दास ऊईके	7. डॉ. अमी याज्ञिक
8. श्री सुजीत कुमार	8. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह	8. श्री बसंत कुमार पांडा
	9. श्रीमती संगीता यादव	

9.4 Allocation of Ministries/Departments among the Sub-Committees

The allocation of Ministries/Departments among the three Sub-Committees is as follows: -

First Sub-Committee	Second Sub-Committee	Third Sub-Committee
Name of Ministry/Department	**Name of Ministry/Department**	**Name of Ministry/Department**
1. Ministry of Defence 2. Ministry of External Affairs 3. Ministry of Home Affairs 4. Ministry of Education 5. Ministry of Corporate Affairs 6. Ministry of Petroleum and Natural Gas 7. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions 8. Ministry of Chemicals and Fertilizers 9. Department of Atomic Energy 10. Niti Aayog 11. Ministry of Social Justice and Empowerment 12. Ministry of Rural Development 13. Ministry of Youth Affairs and Sports 14. Ministry of Tribal Affairs 15. Ministry of Minority Affairs 16. Ministry of Culture 17. Ministry of Development of North Eastern Region 18. Ministry of Law and Justice 19. Ministry of Women and Child Development 20. Ministry of Road Transport and Highways 21. Ministry of Ports, Shipping and Waterways 22. Ministry of Panchayati Raj	1. Ministry of Railways 2. Ministry of Information and Broadcasting 3. Ministry of Communications and Information Technology 4. Ministry of Civil Aviation 5. Ministry of Science and Technology 6. Ministry of Jal Shakti 7. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 8. Ministry of Power 9. Ministry of New and Renewable Energy 10. Ministry of Agriculture 11. Ministry of Earth Sciences 12. Ministry of Space 13. Ministry of Tourism 14. Ministry of Food Processing Industries 15. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying 16. Ministry of Electronics and Information Technology	1. Ministry of Finance 2. Ministry of Commerce and Industry 3. Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises 4. Ministry of Steel 5. Ministry of Textiles 6. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises 7. Ministry of Housing and Urban Affairs 8. Ministry of Labour and Employment 9. Ministry of Coal 10. Ministry of Environment, Forest and Climate Change 11. Ministry of Health and Family Welfare 12. Ministry of Mines 13. Ministry of Parliamentary Affairs 14. Comptroller and Auditor General of India 15. Ministry of Statistics and Programme Implementation 16. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

9.4 उप-समितियों के बीच मंत्रालयों/विभागों का आवंटन

तीनों उप समितियों के बीच मंत्रालयों/विभागों का आवंटन निम्नानुसार किया गया है:-

पहली उप-समिति मंत्रालय/विभाग के नाम	दूसरी उप-समिति मंत्रालय/विभाग के नाम	तीसरी उप-समिति मंत्रालय/विभाग के नाम
1. रक्षा मंत्रालय	1. रेल मंत्रालय	1. वित्त मंत्रालय
2. विदेश मंत्रालय	2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
3. गृह मंत्रालय	3. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	3. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
4. शिक्षा मंत्रालय	4. नागर विमानन मंत्रालय	4. इस्पात मंत्रालय
5. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	5. वस्त्र मंत्रालय
6. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	6. जल शक्ति मंत्रालय	6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
7. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	7. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	7. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
8. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	8. विद्‌युत मंत्रालय	8. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
9. परमाणु ऊर्जा विभाग	9. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	9. कोयला मंत्रालय
10. नीति आयोग	10. कृषि मंत्रालय	10. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
11. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	11. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	11. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
12. ग्रामीण विकास मंत्रालय	12. अंतरिक्ष विभाग	12. खान मंत्रालय
13. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	13. पर्यटन मंत्रालय	13. संसदीय कार्य मंत्रालय
14. जनजातीय कार्य मंत्रालय	14. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	14. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
15. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	15. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	15. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
16. संस्कृति मंत्रालय	16. इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	16. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
17. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय		
18. विधि और न्याय मंत्रालय		
19. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		
20. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
21. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय		
22. पंचायती राज मंत्रालय		

9.5 Policy-making Drafting and Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language

The Committee has a policy-making Drafting and Evidence Sub-Committee to conduct various important activities of the Committee. This is as follows:-

SI.No.	Name	State	House
1.	Shri Bhartruhari Mahtab, Deputy Chairman	Odisha	Lok Sabha
2.	Shri Ramchander Jangra	Haryana	Rajya Sabha
3.	Prof. Rita Bahuguna Joshi	Uttar Pradesh	Lok Sabha
4.	Dr. Manoj Rajoria,	Rajasthan	Lok Sabha
5.	Prof. Shrirang Appa Barne,	Maharashtra	Lok Sabha
6.	Smt. Ranjanben Dhananjay Bhatt	Gujarat	Lok Sabha
7.	Shri Dinesh Chandra Yadav	Bihar	Lok Sabha
8.	Smt. Anshuli Arya, Special Invitee	Secretary, Department of Official Language	

9.6 Details of the Part of the Report submitted by the Committee

After constitution of the Committee of Parliament on Official Language in January 1976, 12 parts have been submitted to the Hon'ble President, so far, details of which are as follows:-

SI. No.	Part No.	Main Subject	Date of Submission of Recommendation to the President	Date of issue of Presidential Order
1.	First	Translation arrangements in Central Offices	January, 1987	30.12.1988
2.	Second	Regarding use of Hindi and English in mechanical facilities in Central Offices	July, 1987	29.03.1990
3.	Third	Hindi teaching and training through Hindi medium	February, 1989	04.11.1991
4.	Fourth	Status of use of Hindi in Government Offices and Undertakings etc. in different parts of the country based on the review conducted till July 1989	November, 1989	28.01.1992
5.	Fifth	Language of legislation and language used in various Courts and Tribunals etc.	March, 1992	24.11.1998

9.5 संसदीय राजभाषा समिति की नीति निर्धारक आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति

समिति की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों के संचालन के लिए समिति की एक नीति निर्धारक आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति है। इसका स्वरूप इस प्रकार है:-

क्र सं.	नाम	राज्य	सदन
1.	श्री भर्तृहरि महताब, अध्यक्ष	ओडिशा	लोक सभा
2.	श्री रामचंद्र जांगड़ा	हरियाणा	राज्य सभा
3.	प्रो. रीता बहुगुणा जोशी	उत्तर प्रदेश	लोक सभा
4.	डॉ. मनोज राजोरिया	राजस्थान	लोक सभा
5.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	महाराष्ट्र	लोक सभा
6.	श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट	गुजरात	लोक सभा
7.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	बिहार	लोक सभा
8.	श्रीमती अंशुली आर्या विशेष आमंत्रित	सचिव, राजभाषा विभाग	

9.6 समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के खंडों का विवरण

संसदीय समिति ने अपने गठन जनवरी, 1976 के पश्चात अब तक 12 खंड माननीय राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	खंड संख्या	मुख्य विषय	राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	राष्ट्रपति आदेश जारी होने की तिथि
1.	पहला	केंद्रीय कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था।	जनवरी, 1987	30.12.1988
2.	दूसरा	केंद्रीय कार्यालयों में यांत्रिक सुविधाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी के प्रयोग से संबंधित।	जुलाई, 1987	29.03.1990
3.	तीसरा	हिंदी शिक्षण और हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण।	फरवरी, 1989	04.11.1991
4.	चौथा	जुलाई 1989 तक किए गए पुनर्विलोकन के आधार पर देश में विभिन्न भागों में सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों आदि में हिंदी में प्रयोग की स्थिति।	नवम्बर, 1989	28.01.1992
5.	पांचवां	विधायन की भाषा और विभिन्न न्यायालयों व न्यायधिकरणों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा।	मार्च, 1992	24.11.1998

6.	Sixth	Regarding correspondence in Hindi in the offices of the Union	27.11.1997	17.09.2004
7.	Seventh	Writing originally in Hindi and machine translation	03.05.2002	13.07.2005
8.	Eighth	Expenditure on Purchase of books, computerization, advertisements in Central Offices	16.08.2005	02.07.2008
9.	Ninth	Status of inspections and related monitoring arrangements in use in the official language Hindi.	02.06.2011	05.12.2017
10.	Tenth	Status of Hindi Option in Recruitment, examinations and interviews.	09.09.2021	_
11.	Eleventh	Uniformity of official language Posts, Designations and pay Scales.	09.09.2022	_
12	Tweleth	Simplification of official language Hindi	04.09.2023	_

9.7 Details of inspection programmes conducted by the Committee of Parliament on Official Language from 01.04.2023 to 31.03.2024.

During this period, the three Sub-Committees of the Committee of Parliament on Official Language reviewed the progress made in the use of Hindi for the official purposes in 1175 offices of various Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Banks and Autonomous Organizations in Delhi and outside Delhi. In addition, the Committee's Drafting and Evidence Sub-Committee also organized a Discussion Programme with 92 organizations through various TOLICS (Town Official Language Implementation Committee). Assessing the participation of TOLICS in this Discussion Programme, the Committee gave guidelines to make them more effective.

****

6.	छठा	संघ के कार्यालयों में हिंदी में पत्राचार के संबंध में।	27.11.1997	17.09.2004
7.	सातवां	मूल रूप से हिंदी में लेखन तथा मशीनी अनुवाद।	03.05.2002	13.07.2005
8.	आठवां	केंद्रीय कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण, विज्ञापनों पर व्यय।	16.08.2005	02.07.2008
9.	नौवां	राजभाषा हिंदी के प्रयोग में निरीक्षणों एवं तत्संबंधी मॉनीटरिंग व्यवस्था की स्थिति।	02.06.2011	05.12.2017
10.	दसवां	भर्ती परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों में हिंदी विकल्प की स्थिति।	09.09.2021	----
11.	ग्यारहवां	राजभाषा के पदों, पदनामों एवं वेतनमानों में एकरूपता।	09.09.2022	----
12.	बारहवां	राजभाषा हिंदी का सरलीकरण	04.09.2023	----

9.7 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक सम्पन्न निरीक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा।

इस अवधि में संसदीय राजभाषा समिति की तीनों उप-समितियों ने दिल्ली तथा दिल्ली के बाहर मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों व स्वायत्तशासी संगठनों के 1175 विभिन्न कार्यालयों में राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन किया। साथ ही समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति ने विभिन्न नराकासों (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों) के माध्यम से 92 संगठनों के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस विचार-विमर्श कार्यक्रम में नराकासों की सहभागिता का आकलन करते हुए समिति ने उनको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए ।

****